



०४२३५

No - 239

239



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

राज्य के वित्त
(प्रतिवेदन संख्या-1)



हिमाचल प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

**राज्य के वित्त
(प्रतिवेदन संख्या-1)**

हिमाचल प्रदेश सरकार




विषय सूची

विषय	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
अध्याय-1		
राज्य सरकार के वित्त		
चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	5
राजस्व प्राप्तियां	1.3	8
संसाधनों का उपयोग	1.4	12
व्यय की गुणवत्ता	1.5	19
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.6	22
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.7	24
ऋण धारणीयता	1.8	26
राजकोषीय असंतुलन	1.9	28
निष्कर्ष एवं सिफारिशें	1.10	31
अध्याय-2		
वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	33
विनियोजन लेखे का सारांश	2.2	33
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	34
विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना	2.4	41
व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन	2.5	41
चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम	2.6	42
निष्कर्ष एवं सिफारिशें	2.7	43
अध्याय-3		
वित्तीय विवरण		
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	45
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.2	46
दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि	3.3	46
मुख्य उचन्त शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	3.4	47
लेखापरीक्षा प्रभावपूर्णता-उत्तरदायित्व का अपरदन	3.5	48
निष्कर्ष एवं सिफारिशें	3.6	49

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विषय	परिच्छेद	पृष्ठ
परिशिष्ट-1	राज्य रूपरेखा क: सामान्य आंकड़े ख: वित्तीय आंकड़े	-	51
परिशिष्ट-1.1	भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा	-	52 53
परिशिष्ट-1.2	भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005	-	54 56
परिशिष्ट-1.3	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	1.3, 1.4.3, 1.6.4 तथा 1.7.2	57
परिशिष्ट-1.4	भाग-क: वर्ष 2010-11 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार भाग-ख: 31 मार्च 2011 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.1 तथा 1.7.1	60 63
परिशिष्ट-1.5	2010-11 के दौरान राज्य बजट से बाहर कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी	1.2.2	65
परिशिष्ट-2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां बचतें प्रत्येक में ₹ एक करोड़ अथवा कुल प्रावधान के पांच मामलों में 20 प्रतिशत से अधिक थी	2.3.1	67
परिशिष्ट-2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक था	2.3.2	68
परिशिष्ट-2.3	विगत वर्षों के प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता	2.3.5	69
परिशिष्ट-2.4	2010-11 के दौरान प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता	2.3.6	70
परिशिष्ट-2.5	मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.7	71

परिशिष्ट-2.6	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए	2.3.7	72
परिशिष्ट-2.7	निधियों का अधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.3.8	73
परिशिष्ट-2.8	वर्ष के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.10	75
परिशिष्ट-2.9	वर्ष के दौरान शत प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.10	76
परिशिष्ट-2.10	वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण (₹50 लाख अथवा इससे अधिक)	2.3.11	77
परिशिष्ट-2.11	व्यय का तीव्र प्रवाह	2.3.13	78
परिशिष्ट-2.12	(i) 2006-11 के लिए सार आकस्मिक तथा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा (ii) सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन की विभागवार स्थिति	2.4.1	79
परिशिष्ट-2.13	31 मार्च 2011 को प्रतिकूल/नकारात्मक शेष को दर्शाने वाली विवरणी	2.5	80
परिशिष्ट-3.1	31 मार्च 2011 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	3.1	81
परिशिष्ट-3.2	स्वायत्त निकायों का प्रदर्शन दर्शाने वाली विवरणी	3.2	85
परिशिष्ट-3.3	दुर्विनियोजन, गबन आदि के मामलों का विभागवार/अवधिवार ब्यौरा	3.3	86
परिशिष्ट-3.4	चोरी, सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हानि मामलों का विभागवार/त्रेणीवार ब्यौरा	3.3	87
परिशिष्ट-3.5	गत तीन वर्षों की मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत उचन्त शेष की स्थिति	3.4	88
परिशिष्ट-3.6	चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के मार्च 2011 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का वर्ष-वार ब्यौरा	3.5	89
परिशिष्ट-3.7	31 मार्च 2011 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों में बताई गई अनियमितताओं को दर्शाने वाली विवरणी	3.5	90



प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के अध्याय-1 एवं 2 में 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे की जांच से उजागर मामलों के लेखापरीक्षा परिणाम समाविष्ट हैं।
3. अध्याय-3 'वित्तीय विवरण' चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों सहित विहंगावलोकन तथा राज्य सरकार की अनुपालना की स्थिति को उपलब्ध करवाता है।
4. निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम तथा सांविधिक नियमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उजागर हुई अभ्युक्तियों से समाविष्ट प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों से समाविष्ट प्रतिवेदन पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं।
5. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।



कार्यकारी सारांश



कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन एवं राजकोषीय स्थिरता में दूरदर्शिता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिकतर पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके।

राज्य सरकार ने राजकोषीय पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व पर संस्थागत तंत्र को स्थापित करने में बहुत अच्छा कार्य किया है जैसा कि वर्ष प्रतिवर्ष बजट परिणाम के प्रस्तुतिकरण से स्पष्ट होता है। ये प्रतिफल सूचक लक्ष्यों के प्रति विभागवार निष्पादन के मापन कार्य के सीमित उद्देश्य की पूर्ति करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। तथापि, ये राज्य विधायिका तथा अन्य पण्डारियों के लाभ हेतु ऋण स्थिति तथा रोकड़ प्रबन्धन, आदि सहित वित्तीय प्रबन्धन की स्थिति का 'विशाल चित्र' प्रस्तुत नहीं करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस अन्तर को पूर्ण करने के लिए सहायता करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधान के पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए सरकार के वित्त पर टिप्पणियां की जा चुकी हैं तथा पहले ही पांच प्रतिवेदन प्रकाशित किये जा चुके हैं। चूंकि ये टिप्पणियां सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का भाग है, यह अनुभव किया गया कि राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुपालना एवं निष्पादन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की स्थूल समिति में निगेपन रहे। यह सुविचारित परन्तु समस्त समावेशित सूचना का स्पष्ट परिणाम था कि इन निष्कर्षों के वित्तीय प्रबन्धन भाग की ओर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया गया। एक बार फिर केन्द्र-स्तर तक राज्य के वित्त को लाने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए राज्य सरकार के वित्त पर एकाकी प्रतिवेदन को इस चुनौती के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रत्युत्तर माना गया है। तदनुसार, प्रतिवेदन वर्ष 2009 से आगे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने "राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन" नामक शीर्षक से एक पृथक खण्ड प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। यह इस प्रयास का तीसरा संस्करण है।

प्रतिवेदन

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा उपलब्ध करवाई गई है। प्रतिवेदन की रचना तीन अध्यायों में की गई है।

अध्याय 1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2011 तक हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करता है। यह ऑफ बजट रूट के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे के अतिरिक्त वचनबद्ध व्यय, उधार प्रतिरूप की प्रवृत्तियों में अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय 2 विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण तथा ढंग, जिसमें सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को व्यवस्थित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय 3 विभिन्न सूचना अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली सहित हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुपालना की एक वस्तुसूची है। प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में अनेक स्रोतों से एकत्रित किये गये अतिरिक्त डाटा को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम एवं सिफारिशें

राजकोषीय शुद्धि को वापसी: राज्य ने 2010-11 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन अधिनियम/तेरहवें वित्त आयोग में यथा निर्धारित आठ लक्ष्यों में से तीन प्राप्त कर लिये थे। राजकोषीय शुद्धि पथ को वापसी की पर्याप्त संभावना है यदि कर अनुपालना में वृद्धि, कर संचालन लागतों को कम करने, राजस्व बकायों का संग्रहण तथा अनुत्पादक व्यय की काट-छांट करने के प्रयास किए जाते हैं तो घाटे को कम किया जा सकता है।

कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण में सुधार करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भारत सरकार से उधार निधियों के आश्रय को कम किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियाँ: भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को ₹1352 करोड़ का प्रत्यक्ष रूप से अंतरण किया जिसके द्वारा राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता में ₹24,348 करोड़ से ₹25,700 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि, भारत सरकार से प्रत्यक्ष रूप से निधियों की प्राप्ति/अंतरण का अनुश्रवण करने के लिए कोई भी एजेन्सी नहीं थी और इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा इन निधियों हेतु राज्य सरकार के उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए इन निधियों की प्रयुक्ति को सत्यापित किया जाना है।

इन निधियों का उचित लेखाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की जानी है और अद्यतन सूचना राज्य सरकार तथा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा इसकी प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित की जानी चाहिए।

पूंजीगत व्यय को उच्च प्राथमिकता न देना: पूंजीगत व्यय में बढ़ती हुई प्रवृत्ति आर्थिक सेवाओं के साथ-साथ सामाजिक सेवाओं में सुधार का सूचक है। यद्यपि 2010-11 के दौरान निवेश में आंशिक वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत व्यय में वास्तव में ₹154 करोड़ की कमी हुई।

प्रभावी बजटीय प्रणाली को सुनिश्चित करने और सरकारी धन की प्रयुक्ति कैसे विवेकपूर्ण रूप से की जा रही है पर निगरानी रखने हेतु एक अनुश्रवण तंत्र होना चाहिए ताकि धन के लिए मूल्य को अभिप्रेत लाभार्थियों को इसकी सम्पूर्णता में चेनलाईंज्ड किया जा सके।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: उत्तरदायित्व की निष्पादन आधारित प्रणाली सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों में स्थापित की जानी चाहिए जिससे लाभ प्राप्त और सेवा में दक्षता सुधार हो सके।

सरकार को कम्पनियों/निगमों, जो कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रतिफलों से सम्बन्धित हो यदि उच्च लागत उधारों को चेनलाईंज्ड किया जाना मूल्यवान हो, की पहचान करते हुए निवेशों में धन के लिए बेहतर मूल्य को सुनिश्चित करना चाहिए।

राजकोषीय शुद्धि हेतु पहल: राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम ने 2010-11 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 49.70 प्रतिशत के अन्दर समेकित ऋण (गारंटियों सहित) को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य की सिफारिश की थी, जिसे राज्य सिफारिशों के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है और इसका समेकित ऋण 31 मार्च 2011 को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 58 प्रतिशत रहा।

अतः राज्य सरकार को अपने कार्यकलापों को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि कम से कम राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण: ₹2237.64 करोड़ के अधिक व्यय का भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमन करना अपेक्षित है। बजट को व्यपगत होने से रोकने हेतु निक्षेप लेखों तथा व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में निधियों का अवरोधन निधियों के दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ाता है तथा इसे रोकने की आवश्यकता है।

वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह को रोकने के लिए व्यय को योजनाबद्ध किया जाना चाहिए तथा वर्ष भर समान रूप से खर्च किया जाना चाहिए। वित्तीय प्रबन्धन में ऐसी कमियों को रोकने के लिए बजटीय नियंत्रणों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

अनुश्रवण तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता: ₹81.30 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों का दीर्घ समयावधियों हेतु समायोजन नहीं किया गया था जो दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

सार आकस्मिक बिलों के समायोजन का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किया जाना चाहिए जिसके लिए अनुश्रवण तंत्र को विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

वित्तीय विवरण: विभिन्न अनुदानग्राही संस्थाओं से ऋणों व अनुदानों के प्रति नौ वर्षों तक तथा उससे अधिक की मध्य अवधियों हेतु 9,547 मामलों के सम्बन्ध में ₹907.68 करोड़ राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्रों को भेजने में विलम्ब हुआ। हानियों तथा दुर्विनियोजनों के कई दृष्टांत थे जो विभागों में अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाते हैं जिसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

दुर्विनियोजनों तथा हानियों से सम्बन्धित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के बनाए जाने की आवश्यकता है।



अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

हिमाचल प्रदेश राज्य को इसके पर्वतीय भू-भाग के कारण, जिसमें अवसंरचना की असुविधा व कार्य सम्पादन लागतें अन्तर्निहित हैं तथा अभिशासन की अपेक्षाकृत उच्चतर लागत भी आती है, विशेष राज्य¹ का दर्जा प्राप्त है। इसके बावजूद विगत दशक में राज्य में पर्याप्त आर्थिक वृद्धि देखी गई है तथा इसका वर्ष 2001-02 से 2010-11 की अवधि हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की मिश्रित वृद्धि दर लगभग 13 प्रतिशत रही है (परिशिष्ट-1)। वर्ष 2001-11 के दौरान इसकी जनसंख्या 13 प्रतिशत तक बढ़ गई है तथा वर्ष 2010 व 2011 के मध्य प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 16 प्रतिशत रही है। राज्य सरकार के वित्तीय लेखे 19 विवरणियों में रखे जाते हैं जिसकी संरचना व रूपरेखा परिशिष्ट-1.1 में दी गई है। यह अध्याय हिमाचल प्रदेश सरकार के चालू वर्ष के दौरान वित्त के विस्तृत परिदृश्य को प्रदान करता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों के दृष्टिगत विगत वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। अध्याय का परिशिष्ट-1.2 राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारणार्थ अपनाई गई कार्यपद्धति की रूपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत करता है और परिशिष्ट-1.3 वर्ष 2006-11 की अवधि हेतु राज्य सरकार के वित्त से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय परिवर्तनों/पैरामीटरों तथा राजकोषीय अनुपात पर समयावली आंकड़े प्रस्तुत करता है।

1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश

तालिका 1.1 विगत वर्ष (2009-10) की तुलना में चालू वर्ष (2010-11) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सारांश प्रदर्शित करती है जबकि परिशिष्ट-1.4 विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति सहित प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण प्रदान करता है।

तालिका-1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय परिचालनों का सारांश

2009-10	प्राप्तियां	2010-11	2009-10	संवितरण	(₹ करोड़ में)		
प्रवर्ग-क:	राजस्व				गैर योजनागत	योजनागत	जोड़
10,346	राजस्व प्राप्तियां	12,711	11,151	राजस्व व्यय	12,294	1,652	13,946*
2,574	कर राजस्व	3,643	4,377	सामान्य सेवाएं	5249	30	5279
1,784	कर-भिन्न राजस्व	1,695	3,902	सामाजिक सेवाएं	4081	898	4979
862	संघीय करों/शुल्कों का भाग	1,715	2,868	आर्थिक सेवाएं	2959	723	3682
5,126	भारत सरकार से अनुदान	5,658	4	सहायता अनुदान एवं अंशदान	6	--	6
प्रवर्ग-ख: पूँजीगत							
	विविध पूँजीगत प्राप्तियां	646	1,943	पूँजीगत परिव्यय	15	1,774	1,789
34	ऋणों एवं अधिमों की बसूलियां	73	70	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	4	223	227
2,553	लोक ऋण प्राप्तियां	2,411	867	लोक ऋण की चक्रौती	--	870	870
	आकस्मिकता निधि		-	आकस्मिकता निधि	--	--	--
6,821	लोक लेखा प्राप्तियां	8,507	6,421	लोक लेखा संवितरण	--	--	7,162
979	अथ रोकड़ शेष	281	281	अन्त रोकड़ शेष	--	--	635
20,733	योग	24,629	20,733	योग			24,629


¹ विशेष दर्जा न प्राप्त करने वाले राज्यों जो 70 प्रतिशत अनुदान तथा 30 प्रतिशत ऋण के अनुपात में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं, के विपरीत हिमाचल प्रदेश को दिए गए विशेषाधिकारों में भारत सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के अनुपात में वित्तीय सहायता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, उद्योग को प्रेरित करने हेतु इसके शासन क्षेत्र के भीतर विनिर्माण का पुनः पता लगाने/पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण आवकारी शुल्क रियायतें भी उपलब्ध हैं।

* बुक समायोजन के रूप में ₹699.96 करोड़ (₹643.08 करोड़ + ₹56.88 करोड़) की राशि सम्मिलित है।

- विशेष दर्जा प्राप्त राज्य होने से राजस्व प्राप्तियों का 45 प्रतिशत भारत सरकार से अनुदानों के रूप में आता है। यद्यपि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 में राजस्व प्राप्तियां 23 प्रतिशत तक बढ़ी, राजस्व व्यय 25 प्रतिशत तक बढ़ गया।
- राज्य का स्वकीय कर राजस्व विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में ₹1,069 करोड़ (42 प्रतिशत) तक बढ़ा जबकि कर-भिन्न राजस्व में ₹89 करोड़ (पांच प्रतिशत) की आंशिक कमी हुई। स्वकीय कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः अधिक बिक्री/व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहन कर, भूमि/परिसम्पत्ति की बिक्री पर स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस तथा बिजली आदि पर एवं शुल्क के संग्रहण के कारण थी।
- राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में ₹2,795 करोड़ (25 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। यह मुख्यतः पांचवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन, महंगाई भत्ता की किश्तों की अदायगी एवं ऋणों के बुक समायोजन के कारण थी।
- राजस्व घाटा वर्ष 2009-10 में ₹805 करोड़ से वर्ष 2010-11 में ₹1,235 करोड़² होने से ₹430 करोड़ (53 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। चालू वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा विगत वर्ष में 1.9 की तुलना में 2.4 है।
- लोक ऋण की चुकौती में चालू वर्ष में ₹3.00 करोड़ की आंशिक वृद्धि हुई है।
- ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में विगत वर्ष की तुलना में पर्याप्त रूप से 224 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह विद्युत परियोजनाओं को दिए गए ऋण के कारण उच्चतर हुई।
- यद्यपि वर्ष 2010-11 में अथ शेष विगत वर्ष की तुलना में 71 प्रतिशत तक कम था किन्तु अन्त शेष में वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में 126 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

चार्ट 1.1 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए बजट आकलनों तथा वास्तविकों को प्रदर्शित करता है।

चार्ट-1.1: चयनित राजकोषीय पैरामीटर: वास्तविकों की तुलना में बजट आकलन



स्रोत: प्राप्ति व व्यय (अगस्त 2010) तथा वित्त लेखे की समीक्षा

² बुक समायोजन के रूप में ₹699.96 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

चार्ट 1.1 में प्रदर्शित है कि वर्ष 2010-11 के दौरान आकलित व्यय ₹12093 करोड़ के प्रति राजस्व व्यय ₹1853 करोड़ (15 प्रतिशत) तक उच्चतर रहा। ₹505 करोड़ के राजस्व घाटे के आकलन के प्रति चालू वर्ष के दौरान ₹1235 करोड़² का घाटा रहा। ₹2438 करोड़ व ₹202 करोड़ के आकलित राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे के प्रति राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा क्रमशः ₹2532 करोड़ व ₹582 करोड़ था।

2010-11 हेतु उपलब्धियों की तुलना में हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन³ (संशोधन) अधिनियम, 2011⁴ में निर्धारित चयनित परिवर्तनों हेतु निर्धारित मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी⁵ में किये गये प्रक्षेपणों के संदर्भ में वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य का प्रदर्शन नीचे तालिका 1.1क में सारांशित किया गया है:

तालिका-1.1क: चयनित परिवर्तनों हेतु मूल राजकोषीय लक्ष्य

राजकोषीय पूर्वानुमान	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम/तेरहवें वित्त आयोग में प्रक्षेपण	निम्नवत् में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी	निम्नलिखित की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता विभिन्नता	(₹ करोड़ में)
स्वकीय कर राजस्व	3,087	2,956	3,643	*	*
कर-भिन्न राजस्व	1,394	1,779	1,695	*	4.72
गैर-योजनागत राजस्व व्यय	8,305	10,796	12,294	48.03	13.87
पूँजीगत व्यय	---	---	1,789	--	--
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	---	(-)4.36	(-)9.72	(-)9.72	(-)5.36
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	3.5 (2010-11)	(-)5.08	(-) 4.83	(-)8.33	*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में समेकित ऋण (गारंटीयों सहित)	49.7 (2010-11 तक)	56	58	8.3	2
राज्य के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में बकाया गारंटीयां	40 प्रतिशत से नीचे	17	38	*	21

* लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया।

- यद्यपि मध्यावधि राजकोषीय योजनागत विवरणी तथा बारहवें वित्त आयोग के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के स्तर को

² बुक समायोजन के रूप में ₹699.96 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

³ हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन।

⁴ 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित।

⁵ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी।

⁶ तेरहवां वित्त आयोग।

گلچ تاچلیپن کمپانی کے 6999.96 روپے (₹643.08 روپے + ₹56.88 روپے) کی تباہ تاچلیپن کے لئے۔

گ504.87 چاہیں ات تکڑا گئی

12113 67413 100 40013 113 31413 113 80.5 14 113 113 113 113 113 113 113

১২৯৮৫.৫০ পাইকে ৩১১৭৮৬ লক্ষণ রয়েছে;

የፌዴራል ከፌዴራል ተቋሙ ተቋሙ ተቋሙ ተቋሙ ተቋሙ ተቋሙ ተቋሙ ተቋሙ ተቋሙ ተቋሙ

গোম তিতাতা একান্ত ১২০৯৩.৪২ কিলো গ্রাম একান্ত ১৫০৭৮.৯২ কিলো বালুচির পেটে থাকল এইটা;

የኢትዮጵያ ማኅበር ተቋማ ከፌዴራል ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ ተቋማ

፲፻፱፭ ዓ.ም ፲፻፱፭-፲፻፱፮ ከ ማኅ ጥቃት በፌዴራል

ახტატი: 49.7 ტეტ 56 აქტარია მის სტატუსი

19 लक्ष

115h 1174b 11-112 14b 213 ելիկուրու

2007-08 ቀን የትምህር ማረጋገጫ ቀን በ2008-09, 2009-10 እና 2010-11 የትምህር ማረጋገጫ


1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन


राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों के दो प्रवाह⁷ हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करते हैं।

तालिका 1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखे में अभिलिखित है जबकि **चार्ट 1.2** राज्य के वर्ष 2006-11 के दौरान प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है। **चार्ट 1.3** चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को दर्शाता है।

चार्ट-1.2: प्राप्तियों की प्रवृत्तियां



चार्ट-1.3: 2010-11 के दौरान प्राप्तियों का संयोजन



उपरोक्त चार्ट प्रदर्शित करते हैं कि विगत वर्ष की अपेक्षा 2010-11 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में ₹19,754 करोड़ से ₹24,348 करोड़ की 23 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इसमें से 52 प्रतिशत

⁷ **राजस्व प्राप्तियां:** इनमें स्वकीय कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों व शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

पूँजीगत प्राप्तियां: इनमें विनिवेश से प्राप्तियां, ऋण व अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति अर्थात् लोक लेखा से उपचय सहित बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार तथा भारत सरकार से ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं।

1. בְּרֵבָדִים וְבְמַלְאָכִים בְּרֵבָדִים וְבְמַלְאָכִים

四百四

አዲስአበባ-1.2: ተከናወል የተደረገውን በቻቻ አገልግሎት ተካክ ተመልከት ተችላዋል

አስተዳደር 1.2 በትምህር የዕለታዊ ስነዎች

1.2.2 תְּמִימָה אֲלֵיכֶם תְּמִימָה אֲלֵיכֶם תְּמִימָה אֲלֵיכֶם תְּמִימָה אֲלֵיכֶם

1 Theology & Philosophy 73

٢٥٦

319 ကို: ၂၆၇၁ မှတ်; မြန်မာ တိပိဋကဓရ တိ ၂၁၉။ ၁၃၇.၈၇ မှတ်; ၈၅၄၆ မှတ် ၃၂၉ မှတ်။

6

1. **Կահեծական լրաց**


መተዳደሪያ ተቋማ ተቋማ

并 48 号 98 页的“关于对 2010-11 年度预算执行情况的报告”中，有关于“2010-11 年度预算执行情况”的说明。

116 **የኢትዮ** 117 **ከአዲስ አበባ** 118 **የአዲስ አበባ** 119 **የአዲስ አበባ** 120 **የአዲስ አበባ**

፩፻፲፭ ዓ.ም. በ፩፻፲፭ ዓ.ም. ተስፋኑ ማኅበርና በ፩፻፲፭ ዓ.ም. ተስፋኑ ማኅበርና

፡ ແກ້ວມະນີ ທັງອຸປະກອດ ໄກສະກິດເອົາໄລ | ໃກ້ວມະນີ ແກ້ວມະນີ ມີ ສາມາດ ເກືອກ ໂດຍ



الثانية عشرة: الأحكام المعمولية

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

የብር. 11 በፌዴራል-11 የአዲስ አበባው በኋላ የሚከተሉትን ሰነድ በታች ተደርጓል፡፡

١٣ **تَلْفِيقُ الْمُهَاجِر**

11461 115 1161 121 1216 146 12812 10214

Digitized by srujanika@gmail.com on 31-May-2011 Page 146.63 of 146


(i) የኢትዮጵያ የፌዴራል ተክኖሎጂ አገልግሎት ማመልከት ቤት

፡ ප්‍රජාතන හිමුවක මැයිසේරියාලයි | එහි ප්‍රධාන මෘදු

100 كيلو متر مربع لتر 250 كيلو متر مربع لتر 300 كيلو متر مربع لتر 400 كيلو متر مربع لتر

፲፻፲፭ የሰኞና አገልግሎት

चार्ट-1.5: 2006-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संयोजन



राजस्व प्राप्तियां 10 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2006-07 में ₹7,835 करोड़ से 2009-10 में ₹10,346 करोड़ तक स्थिरतापूर्वक बढ़ी, किन्तु वर्ष 2010-11 के दौरान इसमें गत वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कर-भिन्न राजस्व के अंश में विगत वर्ष की अपेक्षा पांच प्रतिशत की कमी प्रदर्शित हुई जबकि भारत सरकार से सहायता अनुदान में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

जबकि 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 42 प्रतिशत राज्य के स्वकीय संसाधनों से प्राप्त हुआ है जिसमें कर एवं कर-भिन्न शामिल है, शेष 58 प्रतिशत केन्द्रीय अंतरणों द्वारा अंशदान किया गया जिसमें केन्द्रीय कर एवं शुल्क (13 प्रतिशत) का राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (45 प्रतिशत) शामिल है।

केन्द्रीय कर अंतरण: केन्द्रीय कर अंतरण में 2009-10 में ₹862 करोड़ से 2010-11 में ₹1,715 करोड़ तक ₹853 करोड़ (99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत संस्थापित हुआ। **वृद्धि मुख्यतः:** निगम कर (₹316 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय कर (₹157 करोड़), सीमा शुल्क (₹179 करोड़) व संघीय आबकारी शुल्क (₹121 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

सहायता अनुदान: भारत सरकार से सहायता अनुदान में वृद्धि 2009-10 में ₹5,126 करोड़ से 2010-11 में ₹5,658 करोड़ तक होने से ₹532 करोड़ रही।

सकल राज्य घेरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां नीचे तालिका 1.3 में प्रदर्शित की गई हैं:

तालिका-1.3: सकल राज्य घेरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	7,835	9,142	9,308	10,346	12,711
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.45	16.68	1.82	11.15	22.86
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घेरेलू उत्पाद ¹⁰ (प्रतिशत)	25.88	26.91	24.13	23.90	24.24
उत्पालवक्ता अनुपात ¹⁰					
सकल राज्य घेरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व उत्पालवक्ता	1.68	1.36	0.13	0.91	1.08
सकल राज्य घेरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राज्य की स्वकीय कर उत्पालवक्ता	0.91	1.49	1.06	1.21	1.97

* 2004-05 के आधार मूल्य पर सकल राज्य घेरेलू उत्पाद

¹⁰ उत्पालवक्ता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की प्रत्यास्थता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्पालवक्ता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घेरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियां 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होगी।

አዲስ አበባ የፌዴራል ቤት ተስፋዎች ማረጋገጫ 18 ዓ.ም.

۲۴-۱۰۷

ପ୍ରକାଶକ

۲۴

1. **תְּבִיבָה** – מושג שמיינטן את היחסים בין האנושות ובראשו עלה רוח של אמפתיה וסימpatיה.

ԵՐԱՀԱՆՈՒՅԹ ԿՈ ԽՈԼԻ

तालिका-1.4: लागत वसूली का चालू स्तर

क्रमांक	विभाग	2006-07			2010-11			(₹ करोड़ में)
		प्राप्ति	व्यय	प्रतिशतता	प्राप्ति	व्यय	प्रतिशतता	
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5.47	397.46	1.38	8.43	763.00	1.10	
2.	लघु सिंचाई	0.48	123.38	0.39	0.75	245.25	0.31	
3.	माध्यमिक शिक्षा	34.31	418.88	8.19	6.79	858.15	0.79	
4.	विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	3.38	78.53	4.30	3.71	183.67	2.01	
5.	विद्युत	910.08	311.82	291.86	1093.21	792.88 [§]	137.88	
6.	पथ परिवहन	0.02	55.78	0.04	0.80	95.27	0.84	
स्रोत:	वित्त लेखे							
	इसमें ₹643.08 करोड़ सम्मिलित है जिसे अब राज्य सरकार के मुख्य शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण से स्थानांतरित किया गया है ताकि हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी ऋण के गलत वर्गीकरण को ठीक किया जा सके।							

राज्य के मुख्य विभागों हेतु व्यय-प्राप्ति अनुपात को देखने से विदित होता है कि उपरोक्त सभी विभागों में वर्ष 2006-07 तथा 2010-11 के मध्य स्थिति खराब रही क्योंकि व्यय में प्रबल वृद्धि हुई है जबकि प्राप्ति में विद्युत को छोड़कर केवल आंशिक वृद्धि हुई है।

1.3.2 कर के अपवंचन, बट्टे खाते में डालने/माफी, प्रत्यर्पण एवं राजस्व बकायों के कारण राजस्व हानि

कर का अपवंचन

वर्ष के दौरान कटौती किए गए कर के अपवंचन के मामले, पूर्ण किए गए निर्धारणों तथा लम्बित मामलों का ब्यौरा निम्नवत् है:

तालिका-1.5: कर का अपवंचन

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2010 को लंबित मामले	वर्ष के दौरान उजागर मामले	31 मार्च 2011 तक योग	मामलों की संख्या जिनकी निर्धारण/जांच पूरी कर ली गई तथा शासित आदि सहित अतिरिक्त मांग की गई मामलों की संख्या	मांग राशि (₹ लाख में)	31 मार्च 2011 तक लंबित मामलों की संख्या
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	120	3013	3,133	3,023	483.31	110
2.	राज्य आबकारी	2	325	327	323	10.59	4
3.	यात्री एवं माल पर कर	333	1006	1,339	1,043	32.83	296
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	19	262	281	262	18.40	19
	योग	474	4,606	5080	4,651	545.13	429

यह स्पष्ट है कि 429 मामले निपटान के लिए लंबित पड़े हैं। इस प्रकार इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए कार्रवाई की जानी आवश्यक है।

प्रत्यर्पण

वर्ष 2010-11 के आरम्भ में लम्बित प्रत्यर्पण मामलों, प्राप्त दावों, अनुमत प्रत्यर्पणों तथा वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर लम्बित मामलों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका-1.6: प्रत्यर्पण मामले

(₹ लाख में)

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर/वैट		स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	17	80.05	--	--	1	11.05
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	49	10.71	1	0.01	4	11.11
3	वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यर्पण	29	4.23	1	0.01	3	10.93
4	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	37	86.53	--	--	2	11.23

संग्रहण लागत

वर्ष 2010-11 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि कर ₹21.85 करोड़, राज्य आबकारी ₹5.84 करोड़, वाहन, माल व यात्री कर ₹0.97 करोड़ तथा स्टॉम्प शुल्क व पंजीकरण फीस ₹1.04 करोड़ के संग्रहण पर व्यय था। सकल संग्रहण के प्रति व्यय की प्रतिशतता क्रमशः 1.03, 1.04, 0.37 व 1.48 थी। राज्य में सकल संग्रहण के प्रति व्यय की प्रतिशतता बिक्री, व्यापार आदि पर करों के मामले को छोड़कर, अखिल भारतीय औसत से नीचे रही जो वर्ष 2010-11 हेतु संग्रहण की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से 0.07 प्रतिशत उच्चतर थी। अखिल भारतीय औसत प्राप्ति हेतु पूर्वोक्त व्यय को कम करने के लिए प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है।

राजस्व बकाया

वर्ष 2006-07 में राजस्व बकाया ₹430 करोड़ से ₹247 करोड़ तक कम होकर वर्ष 2010-11 के अन्त में ₹183 करोड़ रह गया। इसमें से ₹49.38 करोड़ पांच वर्षों से अधिक अवधि हेतु बकाया थे। बकाया मुख्यतः बिक्री, व्यापार कर/वैट आदि (₹162.72 करोड़), माल एवं यात्री कर (₹7.83 करोड़), राज्य आबकारी (₹7.11 करोड़) तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क (₹5.34 करोड़) के कारण था।

राजस्व की वसूली के लिए सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

1.4 संसाधनों का उपयोग


राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्व रखता है क्योंकि मुख्य व्यय का उत्तरदायित्व उनको सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर घाटे अथवा उधार द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय जुटाने में बजटीय प्रतिबन्ध है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय शुद्धि तथा समेकन प्रक्रिया व्यय की लागत, विशेषकर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों को निर्दिष्ट व्यय पर नहीं है।

व्यय के आवंटन का विश्लेषण नीचे विवेचित किया गया है:

1.4.1 व्यय वृद्धि एवं संयोजन

चार्ट 1.6 पांच वर्षों (2006-11) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है तथा ‘आर्थिक वर्गीकरण’ एवं ‘कार्यकलापों द्वारा व्यय’ दोनों के सम्बन्ध में इसका संयोजन क्रमशः चार्ट 1.7 तथा 1.8 में चित्रित किया गया है।

चार्ट-1.6: कुल व्यय: प्रवृत्तियां एवं संयोजन



- राज्य का कुल व्यय¹¹ 2006-07 में ₹8,780 करोड़ से 2010-11 में ₹15,962 करोड़ तक 16 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ गया। इसमें विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 में 21 प्रतिशत (₹2,798 करोड़) की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान कुल व्यय में ₹2,798 करोड़ की वृद्धि राजस्व व्यय तथा ऋणों व अग्रिमों में क्रमशः ₹2,795 करोड़ तथा ₹157 करोड़ की वृद्धि के कारण थी जबकि पूंजीगत व्यय में ₹154 करोड़ की कमी हुई।
- राजस्व व्यय 2006-07 में ₹7,644 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में 16 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर ₹13,946 करोड़¹² हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति (₹617 करोड़), जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹136.41 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹153.32 करोड़), सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार (₹151.65 करोड़),

¹¹ वित्त लेखे की विवरणी 12 तथा 13 लघु शीर्ष द्वारा क्रमशः विस्तृत राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय को चित्रित करती है। राज्य अपने प्रभुसत्ता-सम्पन्न कार्यों को पूरा करने, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं को प्रदान करने के अपने विद्यमान स्वरूप का अनुरक्षण करने, पूंजीगत व्यय एवं निवेशों द्वारा इन सेवाओं के नेटवर्क का प्रसार करने तथा अपने ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाते हैं।

¹² बुक समायोजन के रूप में ₹699.96 करोड़ की राशि सम्मिलित है।


अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण (₹11.15 करोड़), आर्थिक क्षेत्र में परिवहन (₹201.37 करोड़), ऊर्जा (₹608.24 करोड़), ग्रामीण विकास (₹62.21 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹39.76 करोड़) पर व्यय के कारण थी।

- पूंजीगत व्यय 37 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2006-07 में ₹1110 करोड़ से बढ़कर 2008-09 में ₹2,079 करोड़ हो गया किन्तु विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान क्रमशः ₹136 करोड़ (सात प्रतिशत) तथा ₹154 करोड़ (आठ प्रतिशत) कम हुआ। 2010-11 के दौरान पूंजीगत निवेश में विगत वर्ष की तुलना में ₹2,736 करोड़ से ₹2,928 करोड़ की आंशिक वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय के प्राथमिकीकरण हेतु वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में विशिष्ट मानकों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सामाजिक क्षेत्र में जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹329.11 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹144.01 करोड़) तथा आर्थिक क्षेत्र में परिवहन (₹464.79 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹308.58 करोड़) तथा विद्युत परियोजनाएं (₹160 करोड़) लाभार्थी क्षेत्र थे जहां पूंजीगत व्यय किया गया था। ऋणों एवं अग्रिमों ने कुल व्यय का ₹227 करोड़ (1.42 प्रतिशत) संगठित किया जो विगत वर्ष की अपेक्षा ₹157 करोड़ अधिक था।


1.4.2 कार्यकलापों द्वारा कुल व्यय की प्रवृत्तियां

कार्यकलापों के सम्बन्ध में कुल व्यय को ब्याज भुगतान, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं, सहायता अनुदान तथा ऋणों एवं अग्रिमों सहित सामान्य सेवाओं पर संघटित व्यय के रूप में माना जाएगा। कुल व्यय में इन घटकों के प्रासंगिक अंश को क्रमशः चार्ट 1.7 व 1.8 में इंगित किया गया है।

चार्ट-1.7: कुल व्यय: इसके घटकों के अंश की प्रवृत्तियां



चार्ट-1.8: कुल व्यय: 'क्रियाकलापों' से प्रवृत्तियां



व्यय के इन घटकों के प्रासंगिक अंश की गति से प्रदर्शित हुआ कि व्यय के सभी घटकों में अंतर्वर्षीय विभिन्नताएं थी। सामान्य सेवाओं पर व्यय (ब्याज भुगतानों सहित), जिसे अविकासात्मक के रूप में माना जाता है, लगातार 2006-07 में 38.28 प्रतिशत से 2010-11 में 33.53 प्रतिशत तक घट गया। दूसरी ओर विकासात्मक व्यय अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक सेवा पर लगातार 2010-11 में 65 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। आर्थिक सेवाओं तथा सामाजिक सेवाओं का भाग मुख्यतः सामान्य शिक्षा (₹606 करोड़) तथा परिवहन (₹201 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण था।

1.4.3 राजस्व व्यय का प्रभाव

राजस्व व्यय का कुल व्यय में सर्वाधिक भाग होता है। इसे सेवाओं तथा भुगतानों को चालू स्तर पर रखने, विगत दायित्वों हेतु खर्च किया जाता है तथा इस प्रकार यह राज्य की अधोसंरचना एवं सेवा नेटवर्क के लिए किसी प्रकार की वृद्धि में परिणत नहीं होता। समग्र राजस्व व्यय इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा राजस्व प्राप्तियों के प्रति राजस्व व्यय का अनुपात तथा इसकी उत्त्लावकता को यारिशिष्ट-1.3 में इंगित किया गया है। गैर-योजनागत राजस्व व्यय 2006-07 में ₹6,319 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में 18 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर ₹12,294 करोड़ और योजनागत राजस्व व्यय 2008-09 में ₹877 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹1,652 करोड़ हो गया।

योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय के अनुसार 2010-11 के दौरान कुल व्यय के विखण्डन से उद्घाटित हुआ कि गैर-योजनागत व्यय का प्रमुख भाग ₹12,313 करोड़ (कुल व्यय का 77 प्रतिशत) था जबकि शेष ₹3,649 करोड़ (23 प्रतिशत) योजनागत व्यय के रूप में था।

राजस्व व्यय 2009-10 में ₹11,151 करोड़ से 2010-11 में ₹13,946 करोड़⁵ तक 25 प्रतिशत बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय ने 2006-11 की अवधि में 18 प्रतिशत की औसत दर से अंतर्वर्षीय विभिन्नता दिखाई है तथा लगातार सर्वाधिक अनुपात में अंश जारी रहा जो राजस्व व्यय के 83-91 प्रतिशत के मध्य परिवर्ती था। चालू वर्ष के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय में ₹2,381 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा (₹442 करोड़), पेंशन (₹757 करोड़) तथा स्थानीय निकायों को सहायता (₹131 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

⁵ बुक समायोजन के रूप में ₹699.96 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति गैर-योजनागत राजस्व व्यय का अनुपात 2006-11 के दौरान 21 प्रतिशत से 23 प्रतिशत तक बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय के प्रति राजस्व व्यय की उत्पावकता 2006-07 में 0.93 प्रतिशत से 2008-09 में 0.67 प्रतिशत कम हो गई किन्तु 2009-10 में 1.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें आगे चालू वर्ष के दौरान 1.04 प्रतिशत की कमी हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में इसमें 2008-09 में 7.59 से 2010-11 में 1.09 की कमी हुई। अन्य शब्दों में राजस्व प्राप्ति में प्रति एक प्रतिशत वृद्धि हेतु 2010-11 में गैर-योजनागत राजस्व व्यय 1.09 प्रतिशत तक बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय (₹12294 करोड़) राज्य सरकार द्वारा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹10,796 करोड़) में किये गये निर्धारण से न केवल अधिक रहा बल्कि तेरहवें वित्त आयोग (₹8,305 करोड़) द्वारा 2010-11 हेतु किये गये मानकीय निर्धारण से भी ₹3,989 करोड़ तक अधिक रहा।

दूसरी ओर योजनागत राजस्व व्यय में 2006-07 में 12.10 प्रतिशत से परिवर्ती उतार-चढ़ाव प्रदर्शित हुआ है जो 2007-08 में (9.28 प्रतिशत) तथा 2008-09 के दौरान (27.04 प्रतिशत) ऋणात्मक हो गया। तथापि, यह 2009-10 के दौरान ₹361 करोड़ बढ़ गया तथा विगत वर्ष की तुलना में 41.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। परन्तु चालू वर्ष में यह पुनः 33.44 प्रतिशत कम हो गया।

1.4.4 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे में राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन तथा उपदान का मुख्यतया समावेश होता है। तालिका 1.7 तथा चार्ट 1.9 इन घटकों पर क्रमशः 2006-11 एवं 2008-11 के दौरान व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं।

तालिका-1.7: वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्यय के घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	बजट आकलन	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी, जिसमें से	3,057 (39)	3,577 (39)	3,940 (42)	4,788 (46)	4591	5951 (47)
गैर-योजनागत शीर्ष	2,577 (33)	3,173 (35)	3,813 (41)	4,645 (45)		5784 (46)
योजनागत शीर्ष*	480 (6)	404 (4)	127 (1)	143 (1)		167 (1)
ब्याज अदायगियां	1,669 (21)	1,703 (17)	1,894 (20)	1,956 (19)	2236	1950 (15)
पेंशन पर व्यय	912 (12)	949 (10)	1,154 (12)	1,348 (13)	1850	2105 (17)
उपदान	343 (4)	328 (4)	369 (4)	403 (4)	407	439 (3)
योग	5,981	6,557	7,357	8,495		10445

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय


लघु कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

* केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत योजना शीर्ष में प्रदत्त वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित हैं।

፩,669 ቀን በ 2010-11 ዓ.ም ከ ፩,950 ቀን በ 2006-07 ዓ.ም ይታረም

የኢትዮጵያ ቤት የመንግሥት ማኅበር አስተዳደር ተቋማ (፩፻፲፭-፳፻፱፭) እና የፌዴራል የመንግሥት ማኅበር አስተዳደር ተቋማ (፩፻፲፭-፳፻፱፭) እና የፌዴራል የመንግሥት ማኅበር አስተዳደር ተቋማ (፩፻፲፭-፳፻፱፭) እና የፌዴራል የመንግሥት ማኅበር አስተዳደር ተቋማ (፩፻፲፭-፳፻፱፭)

፩፻፲፭



አዲ-1.9: 2008-11 ዓ.ም. በትንተኞች ከተማው ማረጋገጫ ተስፋል ይፈጸማል

- उपदान

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/निकायों/निगमों आदि के लिए उपदानों का भुगतान कर रही है। उपदान 2006-07 में ₹343 करोड़ से 2010-11 में ₹439 करोड़ तक 28 प्रतिशत तथा विगत वर्ष की अपेक्षा नौ प्रतिशत तक बढ़ गये तथा राजस्व प्राप्तियों एवं कुल व्यय प्रत्येक का लगभग तीन प्रतिशत संघटित था। उपदानों के मुख्य घटक खाद्य एवं आपूर्ति वस्तुएं (₹80.55 करोड़); परिवहन (₹90 करोड़) तथा विद्युत (₹140 करोड़) थे। उपदान 2010-11 में ₹439 करोड़ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹407 करोड़) में किये गये प्रक्षेपणों की तुलना में अधिक था।

1.4.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

विगत वर्षों से प्रासंगिक चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य को अनुदानों एवं ऋणों के रूप में प्रदान की गई सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.8 में दर्शाई गई है।

तालिका-1.8: स्थानीय निकायों, आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान	117.50	176.49	203.49	231.14	311.25
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	46.74	70.66	82.46	115.92	92.26
जिला परिषद् तथा अन्य पंचायती राज संस्थान	100.58	134.13	188.45	217.92	256.28
विकास एजेंसियां	93.44	37.74	44.45	48.61	52.14
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थान	0.12	0.10	4.85	41.25	48.11
अन्य संस्थान ¹²	41.11	47.65	58.55	63.25	89.35
योग	399.49	466.77	582.25	718.09	849.39
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार सहायता	5.23	5.63	6.17	6.44	6.09

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दिए गए अनुदानों में 2006-11 वर्षों में लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई गई। यह विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान ₹131.30 करोड़ (18 प्रतिशत) तक बढ़ गए। राजस्व व्यय में अनुदानों के अंश की 2006-10 की अवधि के दौरान 5.23 प्रतिशत तथा 6.44 प्रतिशत के मध्य बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई गई। तालिका 1.8 से प्रकट होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि अन्य संस्थाओं का अंश 2006-07 में ₹41.11 करोड़ से 2010-11 में ₹89.35 करोड़ तक लगातार बढ़ गया है इससे यह प्रदर्शित होता है कि विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को अत्यधिक वित्तीय सहायता तदर्थ आधार पर दी जा रही है। 2010-11 के दौरान कुछ घटकों के अंतर्गत तीव्र वृद्धि मुख्यतः विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं (₹80.11 करोड़) तथा जिला परिषद् व पंचायती राज संस्थाओं (₹38.36 करोड़) को अधिक अनुदान जारी करने के कारण थी।

¹² अन्य संस्थानों में वे संस्थाएं सम्मिलित हैं, जिन्होंने वर्ष के दौरान तदर्थ अथवा एक ही बार अनुदान प्राप्त किए।

11247

የዕለታዊ ተስፋዎች እና ስራውን በመሆኑ ተስፋዎች እና ስራውን በመሆኑ ተስፋዎች እና ስራውን በመሆኑ

- ከዚህ የዕለታዊ ማረጋገጫ በሚገኘው ተያይዞ በዚህ የዕለታዊ ማረጋገጫ በሚገኘው ተያይዞ

| 114 | 20

2010-11 年度學期第 2 學期起至 2007-08 年度學期止之學費：

#	የኢትዮጵያ አገልግሎት ማኅበር የሚከተሉ ትንተና ተቻልነት ተስፋዎች ተፈጻሚነት ተፈጻሚነት	የኢትዮጵያ አገልግሎት ማኅበር የሚከተሉ ትንተና ተቻልነት ተስፋዎች ተፈጻሚነት ተፈጻሚነት	የኢትዮጵያ አገልግሎት ማኅበር የሚከተሉ ትንተና ተቻልነት ተስፋዎች ተፈጻሚነት ተፈጻሚነት	የኢትዮጵያ አገልግሎት ማኅበር የሚከተሉ ትንተና ተቻልነት ተስፋዎች ተፈጻሚነት ተፈጻሚነት	የኢትዮጵያ አገልግሎት ማኅበር የሚከተሉ ትንተና ተቻልነት ተስፋዎች ተፈጻሚነት ተፈጻሚነት	የኢትዮጵያ አገልግሎት ማኅበር የሚከተሉ ትንተና ተቻልነት ተስፋዎች ተፈጻሚነት ተፈጻሚነት
11.21	35.03	66.38	30.45	2010-11	የኢትዮጵያ አገልግሎት ማኅበር (ማንኛው)	የኢትዮጵያ አገልግሎት ማኅበር (ማንኛው)
14.55	35.62	28.62	63.97	2007-08	የኢትዮጵያ አገልግሎት ማኅበር (ማንኛው)	የኢትዮጵያ አገልግሎት ማኅበር (ማንኛው)

ሰልም አብርሃም - 1.9: 2007-08 ዓ.ም 2010-11 ዓ.ም ቤትና ማመልከት የተማሪዎችን አገልግሎት

1 զ լ ը ր կ լ ն ե լ ա յ ի 1 կ ը ր կ հ յ լ ա կ ի կ լ ի լ պ ե լ ո յ ի 1 կ ը ր կ հ յ

1.5.1 ملکہ اپنے بھائی کا

| የደንብ ተስፋይ እና (በሻለ ለመከተል ተመክሮች-ከዚህም ይደረግ

1.5

1.5.2 व्यय उपयोग की दक्षता

सामाजिक क्षेत्र में कुल व्यय की अपेक्षा पूँजीगत व्यय के अनुपात में 2006-07 में 0.25 से 2010-11 में 0.17 की गिरावट आई। सामान्य शिक्षा के मामले में कुल व्यय की अपेक्षा पूँजीगत व्यय के अनुपात 2006-07 में 0.20 से 2010-11 में 0.05 की कमी हुई जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 2006-07 में 0.10 से 2010-11 में 0.08 तक तथा जलापूर्ति, स्वच्छता तथा आवास एवं शहरी विकास में 0.44 से 0.30 तक की कमी आई जिसका अर्थ 2010-11 में पूँजीगत व्यय को कम प्राथमिकता देना था।

तालिका-1.10: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2006-07			2010-11		
	कुल व्यय के प्रति पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश वेतन एवं परिचालन व मजदूरी अनुरक्षण	कुल व्यय के प्रति पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश वेतन एवं परिचालन व मजदूरी अनुरक्षण	राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश वेतन एवं परिचालन व मजदूरी अनुरक्षण	राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश वेतन एवं परिचालन व मजदूरी अनुरक्षण
सामाजिक सेवाएं						
सामान्य शिक्षा	0.20	0.88	--	0.05	0.85	--
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.10	0.83	--	0.08	0.82	--
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास व शहरी विकास	0.44	0.35	5.86	0.30	0.47	0.51
सामाजिक सेवाओं पर कुल औसत अनुपात	0.25	0.69	1.95	0.14	0.71	0.17
आर्थिक सेवाएं						
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	0.05	0.52	0.01	0.06	0.51	--
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.58	0.68	0.59	0.54	0.78	0.46
ऊर्जा (विद्युत)	--	0.01	--	0.17	0.01	--
परिवहन	0.32	0.63	1.37	0.29	0.62	0.63
आर्थिक सेवाओं पर कुल औसत अनुपात	0.23	0.46	0.49	0.27	0.48	0.27
सामाजिक सेवाओं+आर्थिक सेवाओं का कुल औसत अनुपात	0.24	0.58	1.22	0.21	0.60	0.22
स्रोत: वित्त लेखे तथा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय						

इसी भान्ति, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आर्थिक क्षेत्र में कुल व्यय की अपेक्षा पूँजीगत व्यय के अनुपात में 2006-07 में 0.23 से 2010-11 में 0.27 की आंशिक वृद्धि हुई। वर्ष 2006-07 में विद्युत क्षेत्र में कोई पूँजीगत व्यय नहीं किया गया जबकि 2010-11 में इसका अनुपात 0.17 था। कुल व्यय की अपेक्षा पूँजीगत व्यय का अनुपात इस अवधि के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 0.58 से 0.54 तक कम हुआ जबकि कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों में 0.05 से 0.06 तक आंशिक रूप से बढ़ गया। जलापूर्ति, स्वच्छता एवं शहरी विकास में वेतन एवं मजदूरी का अनुपात 2006-07 में 0.35 से 2010-11 में 0.47 तक, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 0.68 से 0.78 तक बढ़ गया। जलापूर्ति, स्वच्छता एवं शहरी विकास तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में परिचालन व अनुरक्षण व्यय का अनुपात वर्ष 2006-07 के दौरान ऐसे व्यय की तुलना में 2010-11 में कम हुआ।

1.5.3 व्यय की प्रभावशालिता अर्थात् परिव्यय-परिणाम सम्बन्ध

सरकारी स्रोतों से उपलब्ध ब्लौरे के अनुसार (परिशिष्ट-1) हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे तथा साक्षरता दर से सम्बन्धित लोगों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है। तथापि, लोक व्यय

में प्रभावशालिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य को अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रदाय तंत्र को सुधारने की आवश्यकता है। राज्य सरकार से सरकारी व्यय की गुणवत्ता, प्रसार तथा प्रभाव के अनुसार परिणामों हेतु व्यय को सम्बद्ध करने की अपेक्षा की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा की गई तथा लेखापरीक्षा परिणाम सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 में सम्मिलित किए गए हैं जो पृथक रूप से राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेखापरीक्षा की मुख्य-मुख्य बातें निम्नवत् हैं:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

भारत सरकार ने निर्धन वर्गों के लिए वहनयोग्य मूल्यों पर जनता को खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अप्रैल 2000 में अन्वर्षीय योजना तथा दिसम्बर 2000 में अन्त्योदय अन्न योजना जैसी विभिन्न स्कीमें आरम्भ की। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए विशेष रूप से उपदान स्कीम भी आरम्भ की (अप्रैल 2007)। 2006-11 अवधि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि राज्य सरकार ने 2.32 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आवृत्त किया था जो 2006-07 के दौरान राज्य में किए गए निर्धन परिवारों के सर्वेक्षण में पहचान किए गए परिवारों से अधिक थे जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार पर खाद्य उपदान का अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ा। राज्य सरकार ने इस प्रणाली में विद्यमान जाली राशन कार्डों की समस्या से निपटने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए। अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 1.07 लाख अन्त्योदय परिवारों की अपेक्षित आवृत्ति के प्रति भारत सरकार के मार्च 2000 में निर्धारित प्रक्षेपित जनसंख्या अनुमानों के आधार पर 1.96 लाख परिवारों को आवृत्त किया गया जिसके परिणामस्वरूप 0.89 लाख परिवारों की अधिक आवृत्ति हुई। राज्य सरकार ने वितरण के मामले में भारत सरकार के मानकों की अपेक्षा खाद्यान्नों को जारी करने का उच्चतर पैमाना निर्धारित किया था जिससे खाद्यान्नों का अधिक वितरण हुआ परिणामस्वरूप भारत सरकार पर ₹10.98 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। 2006-11 के दौरान निर्धारित परचून मूल्य पर खाद्यान्नों का लाभ राज्य में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को नहीं दिया गया, उन पर ₹35.11 करोड़ का अतिरिक्त बोझ डाला गया। गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में भी कमियां थीं जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को 2066.47 मीट्रिक टन घटिया दालें तथा 1368.26 मीट्रिक टन घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई। लाभार्थियों को समय पर वस्तुओं की उचित मात्रा का वितरण व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित अन्तरालों पर बैठकों को आयोजित न करने के कारण सतर्कता समितियों के अनुश्रवण तंत्र की कार्यप्रणाली भी अप्रभावी थी।

इस प्रकार, घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति से सम्बन्धित मामलों के अतिरिक्त निर्धन परिवारों के सर्वेक्षण में पहचान किए गए परिवारों से अधिक गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को आवृत्त करना, स्कीम के अन्तर्गत आवृत्ति हेतु अपात्र परिवारों का समावेशन, खाद्य उपदान के सम्बन्ध में वित्तीय प्रभाव वाले भारत सरकार के मानकों की अपेक्षा खाद्यान्नों को जारी करने का उच्चतर पैमाना निर्धारित करना आदि चिन्ता के क्षेत्र थे तथा सरकार को इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.6 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन पूर्व ढांचे में राज्य से अपने राजकोषीय घाटे (एवं उधार) को न केवल न्यून स्तर पर रखने की अपेक्षा की जाती है बल्कि इसके पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) आवश्यकताओं को पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन में राज्य सरकार को इसके निवेशों पर पर्याप्त आय अर्जित करने के लिए उपायों को तथा इसकी उधार निधियों की लागत को वसूल करने की आवश्यकता है बजाए इसके कि अन्तर्निहित उपदान के रूप में इसके बजट से उसको बहन किया जाए तथा वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाएं। यह प्रवर्ग विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेशों तथा अन्य पूँजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण को प्रदर्शित करता है।

1.6.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2011 तक अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बन्ध में विभागवार सूचना तालिका 1.11 में दी गई है।

तालिका-1.11: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	आरभिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की संशोधित लागत	31.03.2011 को संचित वास्तविक व्यय कुल लागत	लागत वृद्धि
1.	2.	3.	4.	5.	6. (5-3)
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	11	37.46	71.67	86.14	48.68

स्रोत: वित्त लेखे

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य से सम्बन्धित अपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा उपरोक्त तालिका 1.11 में प्रस्तुत किया गया है। सभी अपूर्ण परियोजनाओं जिनकी संशोधित लागतें उपलब्ध हैं, के सम्बन्ध में ₹49 करोड़ की अधिक लागत आई। विलम्ब विश्लेषणों से तीन तथा 11 वर्षों के मध्य की समय वृद्धि का पता चला। ये परियोजनाएं भूमि विवादों, निधियों की कमी, न्यायालय से सम्बन्धित मामलों, विद्युत आपूर्ति न मिलने आदि कारणों से अपूर्ण पड़ी हुई थीं।

लम्बित मामलों का हल निकालने तथा अधिक समय व लागत को रोकने हेतु आगे शीघ्रता से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि अभिप्रेत लाभार्थियों को परिकल्पित लाभ शीघ्रातिशीघ्र मिले, प्रयास करने की आवश्यकता है।

1.6.2 निवेश एवं प्रतिफल

राज्य सरकार द्वारा निवेशों के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। 31 मार्च 2011 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹2,864 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.12)। इस निवेश पर विगत पांच वर्षों में 1.78 प्रतिशत की औसत आय थी, जबकि सरकार ने 2006-11 के दौरान अपने उधारों पर 8.81 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया।

31. ת. 2011 תק. אוקטובר הקלות ת. 31.10.2011 ס. 555.87 ת. 2010-11 ס. 38.74

תלמוד בבלי - מסכת קידושין -tractate Kiddushin

አክብርና ተዘጋጀል ከተዚካሪው ስለሚከተሉት በመስቀል ተደርጓል፡፡

1.6.3 תְּמִימָה תְּמִימָה גְּדוֹלָה

ଫାର୍ମ ନାମ/ଫାର୍ମ ନାମ/ଫାର୍ମ ନାମ	କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବିତ୍ତିକାରୀ ହାତୀରେ ଆବଶ୍ୟକ	ବିତ୍ତିକାରୀ ହାତୀରେ ଆବଶ୍ୟକ				
(ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ)	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	ଫାର୍ମ ନାମ/ଫାର୍ମ ନାମ/ଫାର୍ମ ନାମ
କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ	1,861	2,033	2,369	2663	2864	କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ
ଜାର୍ଯ୍ୟାନ	1.80	0.52	89.58	73.49	64.11	ଜାର୍ଯ୍ୟାନ
ଜାର୍ଯ୍ୟାନ (ଅଧିକାରୀ)	0.10	0.03	3.78	2.76	2.24	ଜାର୍ଯ୍ୟାନ (ଅଧିକାରୀ)
ଅଧିକାରୀ ଦରିଦ୍ରତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ	9.40	9.09	9.19	8.59	7.78	ଅଧିକାରୀ ଦରିଦ୍ରତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ (ଅଧିକାରୀ)
ଅଧିକାରୀ ଦରିଦ୍ରତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ (ଅଧିକାରୀ)	9.30	9.06	5.41	5.83	5.54	ଅଧିକାରୀ ଦରିଦ୍ରତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ (ଅଧିକାରୀ)

الحلقة-1.12: إلقاء الضوء

परियोजनाएं (₹192.97 करोड़) थी। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता की तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किये जा रहे ब्याज की औसत दर में भारी अंतर था। 2008-11 के दौरान कमी लगभग स्थिर थी। 2010-11 के दौरान बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में सरकार ने ब्याज प्राप्तियों की 2.28 प्रतिशत आय प्राप्त की। तथापि, इस अवधि के दौरान इसने उधारों पर आठ प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया।

1.6.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.14 वर्ष के दौरान रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेशों को दर्शाती है।

तालिका-1.14: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2010 तक	31 मार्च 2011 तक	वृद्धि (+)/ कमी (-)
रोकड़ शेष	281.16	634.86	(+)353.70
रोकड़ शेषों से निवेश			
क. भारत सरकार के खजाना बिल	582.60	906.53	(+)323.93
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	4285.64	4935.51	(+)649.87
चिह्नित शेषों से निवेश का निधिवार विखंडन		--	--
बमूल किया गया ब्याज	63.70	49.60	(-)14.10

राज्य सरकार के रोकड़ शेष चालू वर्ष की समाप्ति पर 2009-10 में ₹281.16 करोड़ से 2010-11 में ₹634.86 करोड़ होने पर ₹353.70 करोड़ तक बढ़ गये। राज्य सरकार ने भारत सरकार खजाना बिलों में ₹906.53 करोड़ तथा भारत सरकार की प्रतिभूतियों में ₹4935.51 करोड़ का निवेश किया और 2010-11 के दौरान ₹49.60 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दैनिक नकदी शेष का अनुरक्षण करने में समर्थ थी और इसने अर्थोपाय अग्रिमों का लाभ नहीं उठाया (परिशिष्ट-1.3)।

1.7 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं

1.7.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संयोजन

सरकार की विद्यमान लेखाकरण प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय में से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। **परिशिष्ट-1.4** 31 मार्च 2011 तक ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का 31 मार्च 2010 को उनकी तदनुरूपी स्थिति की तुलना में सार को दर्शाता है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है, परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

1.7.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्तियों को परिशिष्ट-1.3 में प्रदर्शित किया गया है। तथापि, विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन तालिका 1.15 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-1.15: राजकोषीय देयताएं-मूल पैरामीटर

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	18,071	19,419	21,819	23,713	26415
वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.67	7.46	12.36	8.68	11.39
निम्न के प्रति राजकोषीय देयताओं का अनुपात					
सकल राज्य घेरलू उत्पाद* (प्रतिशत)	59.69	57.17	56.56	54.78	50.38
राजस्व प्रपत्तियां (प्रतिशत)	230.64	212.42	234.41	229.20	207.81

* आधार वर्ष 2004-05 पर संशोधित सकल राज्य घेरलू उत्पाद।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2006-07 में ₹18,071 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹26,415 करोड़ हो गई। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं एवं लोक लेखा देयताएं समाविष्ट हैं। समेकित निधि देयता (₹18,654 करोड़) में बाजार ऋण (₹9,224 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹960 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹8,470 करोड़ जिनमें भारत सरकार के एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष सुरक्षा पर ₹4,936 करोड़ शामिल है) सम्मिलित हैं। लोक लेखा देयताओं (₹7,761 करोड़) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां (₹6,102 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसा कि निक्षेप (₹1,581 करोड़) एवं आरक्षित निधियां (₹78 करोड़) शामिल हैं। 2010-11 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर 11.39 प्रतिशत थी। सकल राज्य घेरलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2006-07 में 59.69 प्रतिशत से निरन्तर रूप से घट कर 2010-11 में 50.38 प्रतिशत हो गया। ये देयताएं 2010-11 के अंत में राजस्व प्रपत्तियों के 2.08 गुण पर स्थिर थी। राज्य सरकार द्वारा बाजार ऋणों व अन्य ऋणों तथा ऋण दायित्वों को छुकाने के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा यथा सिफारिश एक समेकित निक्षेप निधि को स्थापित किया जाना अपेक्षित था। राज्य सरकार ने अभी तक निक्षेप निधि को स्थापित नहीं किया है।

1.7.3 गारंटियों¹⁴ की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा गारंटियां दी गई थी तथा विगत तीन वर्षों की बकाया गारंटियां जैसा कि वित्त लेखे की विवरणी 9 में दर्शाया गया है, तालिका 1.16 में दी गई है।

¹⁴ गारंटियां कर्जदार, जिसकी गारंटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

तालिका-1.16: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

गारंटियां	2008-09	2009-10	(₹ करोड़ में) 2010-11
गारंटीकृत अधिकतम राशि	6,076	4361	6232
गारंटियों की बकाया राशि	2,291	1949	3910
वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति गारंटीकृत अधिकतम राशि की प्रतिशत	65	42	49

राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अंतर्गत ऐसी सीमाएं निर्धारित करने जिनके अन्तर्गत सरकार राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी दे सकती है, के संदर्भ में कोई कानून पारित नहीं किया गया है। तथापि, मार्च 2011 में संशोधित हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि कुल बकाया गारंटियों को चालू वर्ष से पूर्व वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। चूंकि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से राज्य सरकार द्वारा दी गई बकाया गारंटियां 2009-10 तक अधिनियम में निर्धारित की गई सीमा में थी। विभिन्न निगमों तथा अन्य द्वारा उठाए गये ऋणों पर बकाया गारंटियां 2010-11 की समाप्ति पर ₹3,910 करोड़ थी जो विगत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 38 प्रतिशत थी तथा ये गारंटियां राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के संशोधन द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत की अनुमत सीमा में थी। गारंटियों के मुख्य प्राप्तकर्ता, जिनके प्रति राशियां 31 मार्च 2011 को बकाया थी, छ: सांविधिक बोर्ड/निगम (₹3,460 करोड़), सात सरकारी कम्पनियां (₹164 करोड़), एक सहकारी बैंक (₹269 करोड़) तथा दो स्थानीय/स्वायत्त निकाय (₹17 करोड़) थे। दी गई गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटी विमोचन निधि को स्थापित किया जाना अपेक्षित था जैसा कि बारहवें वित्तयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। तथापि, राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी किसी भी निधि को स्थापित नहीं किया है।

1.8 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त विभिन्न सूचकों, जो राज्य की ऋण धारणीयता¹⁵ को निश्चित करते हैं, का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह संवर्ग ऋण स्थिरीकरण¹⁶; ऋण-रहित प्राप्तियों¹⁷ की

¹⁵ ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।

¹⁶ स्थिरता हेतु आवश्यक शर्त स्पष्ट करती है कि यदि आर्थिक वृद्धि की दर व्याज दर अथवा लोक उधार की लागत से अधिक होती है तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर रहने की सम्भावना है बशर्ते कि प्राथमिक रेश या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा सामान्य रूप से ऋणात्मक है। यदि दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-व्याज दर) तथा प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार) दिया गया हो तो ऋण धारणीयता स्थिति स्पष्ट करती है कि यदि प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार शून्य है, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्तः स्थिर होगा। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा विस्तार सहित प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी तथा यदि यह धनात्मक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में अन्तः पिण्ठावट होगी।

¹⁷ वृद्धिशील व्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को आवृत्त करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील व्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।


1. የዚህ ማረጋገጫ በዚህ አገልግሎት ተከራክር ነው እና ይህንን ማረጋገጫ በዚህ አገልግሎት ተከራክር ነው እና

1. የዚህን ደንብ ተከታታለሁ

| କେ ପାଇଁ ମହିନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଯେ କୁଳାଚିତ୍ତ ହିଁ

ပုဂ္ဂန်မြတ်စွာ-၁.၁၇: အောင် လူ မျှ

Digitized by srujanika@gmail.com



(፩) የዚህ በኋላ እንደሚከተሉ ማስረጃ የሚያሳይ የሚከተሉት ደንብ ተስፋል

አዲ-1.10፡ የነበረ ተስፋና አገልግሎት

图 1.10 第 1.11 2006-11 期 3 年期 市 场 利 率 曲 线 及 其 对 应 的 收 益 率 曲 线：

1.9.1 1921

የኢትዮጵያ የሰውን ስራ በኩል አገልግሎት						
	ተመሪያ ደንብ	ተመሪያ ደንብ	ተመሪያ ደንብ	ተመሪያ ደንብ	ተመሪያ ደንብ	ተመሪያ ደንብ
1	ተዘጋጀ ደንብ	(+) 191	(+) 850	(-) 130	(-) 805	(-) 1235
2	የቃዕሚ ደንብ	1,110	1,414	2,079	1943	1789
3	የተመሪያ ደንብ	(3.88)	(4.39)	(5.63)	(4.60)	(3.41)
4	የተመሪያ ደንብ	(-) 91	(-) 5	(-) 44	13	(-23)
5	የተመሪያ ደንብ	(-) 309	(-) 599	(-) 406	78	526
6	የተመሪያ ደንብ	(-) 500	(-) 366	217	265	333
7	የተመሪያ ደንብ	(-) 7	2	53	117	137
8	የተመሪያ ደንብ	73	50	(-) 2	75	48
9	የተመሪያ ደንብ	297	(-) 526	151	117	(-) 416
10	የተመሪያ ደንብ	(-) 922	(-) 552	(-) 2,278	(-) 2784	(-) 2532

፳፻፲፭ ዓ.ም | አዲስ አበባ | የዚህ ፊርማ ምክንያት በመ. 13/13 የሚከተሉትን ደንብ የሚያሳይ

- १३ भूल भूल

1.18 ፩ በታችው የሚከተሉት ማስረጃዎች ይገልጻል

1.9.2 تیکاچیا گلیز گلیز گلیز گلیز

1.9.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात तथा राजस्व व पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को दर्शाता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे के प्रति अनुपात उस सीमा को सूचित करता है जिसके लिए चालू उपभोग हेतु उधार निधियों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात भी सूचित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार भी लगातार संकुचित हो रहा था तथा उधारों का भाग (राजकोषीय देयताएं) किसी परिसम्पत्ति का समर्थन नहीं रखता था। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका-1.19) उस सीमा को सूचित करेगा जिसके लिए पूँजीगत व्यय में वृद्धि के सम्बन्ध में घाटा हो रहा है जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता का सुधार करने में वांछनीय हो सकता है।

तालिका-1.19: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-कारकों का विभाजन

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व अधिशेष	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2006-07	7,858	5,975	1,110	26	7,111	1883	747
2007-08	9,168	6,589	1,414	14	8,017	2579	1,151
2008-09	9,329	7,544	2,079	90	9,713	1785	(-) 384
2009-10	10380	9195	1943	70	11208	1185	(-) 828
2010-11	13430	11996	1789	227	14012	1434	(-)582

- वर्ष 2006-07 से आगे राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय से उच्चतर थी जो इस व्यय हेतु पर्याप्त थी। वर्ष 2007-08 से प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में गैर-ऋण प्राप्तियां 2007-08 में ₹2,579 करोड़ से निरन्तर गिरकर 2009-10 में ₹1,185 करोड़ हो गई परन्तु 2010-11 में ₹249 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।
- कुल प्राथमिक व्यय में 2006-11 की अवधि के दौरान ₹7111 करोड़ से ₹14012 करोड़ होने से ₹6901 करोड़ की वृद्धि हुई जो प्राथमिक राजस्व व्यय 2006-07 में ₹5975 करोड़ से 2010-11 में ₹11996 करोड़ होने पर ₹6,021 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय में 2006-07 में ₹1110 करोड़ से 2010-11 में ₹1789 करोड़ होने पर ₹679 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।
- वर्ष 2006-08 की अवधि के दौरान राज्य के पास प्राथमिक अधिशेष था किन्तु यह 2008-09 में ₹384 करोड़ के घाटे में चला गया जो पुनः 2009-10 में बढ़कर ₹828 करोड़ हो गया परन्तु 2010-11 के दौरान सुधार हुआ है। वर्ष 2010-11 के दौरान प्राथमिक घाटा मुख्यतः एक ओर पूर्व वर्ष की तुलना में ₹89 करोड़ (पांच प्रतिशत) तक की कर-भिन्न राजस्व में गिरावट तथा दूसरी ओर पूर्व वर्ष की तुलना में ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में महत्वपूर्ण वृद्धि अर्थात् ₹157 करोड़ (224 प्रतिशत) के कारण था। वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व घाटे में वृद्धि का कारण महंगाई भत्ते तथा संशोधित वेतन का भुगतान था।

13 लेख

תלמוד תורה שומרון ע"ש 2005-10 סמליה וסמליה של ארץ ישראל וסמליה של ירושלים

31 ቀን 2011 ዓ.ም 11 መቶ አንቀጽ 986 ማረጋገጫ ከተማ እና ገዢ ተከራክር ነው እና ይህንን የሚከተሉት ደንብ ተመዝግበ ነው፤

ପ୍ରକାଶକ ନାମ

(۶۴، ۵۹۱ ص ۱۵) هنری ریکارڈ گلری

የኢትዮጵያ ከተማ ሚኒስቴር የሚከተሉት በቻ መመሪያ የሚከተሉት በቻ መመሪያ

میراث سیفی ۲۰۱۰-۱۱ هـ ۴۸۳ میراث سیفی

। ହେଉଳ ଲୋକ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କୁମାର ଗୁଡ଼ି

תְּרִיבָה וְ**תְּרִיבָה**: תְּרִיבָה מִלְּאַמְּרָה אֲמָרָה כְּפָרָה כְּפָרָה;

145

የኢትዮጵያ የፌዴራል ማኅበር ተስፋዎች እንደሆነ የሚከተሉ ይመሱ ይገልጻ ይሞላል፡ የሚከተሉ ይመሱ ይገልጻ ይሞላል፡ የሚከተሉ ይመሱ ይገልጻ ይሞላል፡ የሚከተሉ ይመሱ ይገልጻ ይሞላል፡

1. **부록 11. 11월 1주 주제별 학습내용 및 평가방법**

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

ሰራተኞች-2.1: የዚህ/አንቀጽ አነጻዥነት በኋላ ስምምነት እና ተከራካሪነት የሚያስፈልግ ይችላል

Algebra - 2.1 例題 34:

ቁጥር 32 ማጭበት/የግዢነት/የሚከተሉት ቀን ዓላማ የሚታወቁው መካከል ተከተል፤ የሚከተሉት ቀን ዓላማ የሚታወቁው መካከል ተከተል፤

2.2 תְּמִימָנָה וְתַּחֲנוּנָה

የኢትዮጵያውያን በኋላውን ነው ስለዚህም ተከራካሪ ገዢ ተከራክር ክፍል ከፌዴራል ንብረቱ ተከራክር እንደሆነ ተችል

‘**የ** ተቋማን ማ እንዳቋማን ተቋማን’ ነው፡፡

କବେ ଲହାର ଲହାର ଯାଏକ ହେ ଲହାର ଯାଏ ତୁ ପିଲାନ୍ତିଲହାର ଲହାର ଯାଏକ ହେ ଲହାର ଯାଏ ତୁ ପିଲାନ୍ତିଲହାର

የኢትዮጵያ የዚህ በቻ ስራውን የሚከተሉት ደንብዎች ተስተካክለ ነው፡፡

1. የዚህ በቃል ማረጋገጫ እና ማስተካከል ነው ይህንን የሚያሳይ ስምምነት የሚያሳይ

የመተዳደሪያ የሚከተሉት በሆነዎች እንደሚከተሉት ስም ጥሩ ተስተካክል ይችላል

የኢትዮጵያ የወጪ ተስፋ ነው እና የወጪ ተስፋ ነው እና የወጪ ተስፋ ነው

የኢትዮጵያውያንድ ቅዱስ የሆነ ተወካይነቱን ክፍት የሚከተሉ ተደርጓል፡፡

2.1.1 [አክብራውን መተዳደሪያዎች](#) በትግራይ አማካን መተዳደሪያዎች የፍርማዎች ገዢነት መፈጸም ይገልጻል

2.1. *Introduction*

© 2013 Pearson Education, Inc.

2.1 הפרק

በኢትዮ አገልግሎት ብቻ ተደርሱ አገልግሎት

2

፩፻፲፭ ዓ.ም. ቀን አዲስ አበባ ማኅበር (፩፻፲፭ 2011) ।

ת.ז.	שם פרטי ו שם משפחה	טלפון	כתובת	עיר	מספר מסמך	מספר תעודת זהות	מספר מסמך דרכון	מספר תעודת דרכון	מספר מסמך דרכון מילואים	מספר תעודת דרכון מילואים
1.	29-פערת גולדה-גוטמן	22321996	6	22322002	19497748	2824254	2824254	282.43	282.43	282.43
2.	29-פערת גולדה-גוטמן	10260389	1	10260390	8696449	1563941	1563941	156.39	156.39	156.39

አዲማካ-2.2: ቁ 150 ዓይነት ተሳታፊዎች እና ማረጋገጫ አዘግጃጀት/የተመለከተ ዓይነት

جاتی لفہ اعلیٰ مکانی - 2.2 پر گھریاں ہیں

2.3.1 အမှတ်ဆုတ် အမှတ်ဆုတ် ပါ ဂမ္မ၏ ဖော်လုပ်မှု

2.3. **תְּאַתָּה שָׁמֵךְ לִגְתָּר** תְּהִלָּתֶךָ מִתְּבָנָה

(ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՇԵՀԻՐ) Վայ պատմակա լապաւ (ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՇԵՀԻՐ) Կ զիր լուսա

1. Առաջնական գործողութեան գործութեան

۲۰۱۰-۱۱ نامه میان انجمن اسلامی و انجمن اسلامی دانشجویان دارالفنون که ۱۵۷۳.۸۰ هزار تومان مبلغ اتفاق افتاد.

2.3.2 अधिक व्यय

18 मामलों में ₹10,839.60 करोड़ का कुल व्यय अनुमोदित प्रावधानों से प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान (चार मामले) के 20 प्रतिशत से अधिक रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹2,233.53 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। ब्यौरा परिशिष्ट-2.2 में दिया गया है। विभागों से अधिक व्यय के लिए कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2011)।

निम्नलिखित मामलों में गत पांच वर्षों में निरन्तर अधिक व्यय पाया गया जैसा कि तालिका-2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.3: 2006-11 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय को इंगित करने वाली अनुदानों की सूची

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	अधिक व्यय की राशि					(₹ करोड़ में)
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
राजस्व-दत्तमत							
1.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	161.42	126.38	134.46	215.36	219.60	
2.	14-पशुपालन, दुर्घट विकास एवं मत्स्य	4.63	7.76	4.08	5.70	13.94	

निरन्तर अधिक व्यय प्रदर्शित करता है कि विभागों में बजटीय नियंत्रण या तो प्रभावी नहीं थे अथवा उचित रूप से अनुपालन नहीं किया गया था तथा इस प्रकार एक सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन के लिए इन शीर्षों के अंतर्गत निधियों की आवश्यकता का निर्धारण अधिक व्यय के ऐसे दृष्टिकोणों की पुनरावृत्ति से बचने हेतु अधिक यथार्थवादी होना चाहिए।

2.3.3 बिना प्रावधान के व्यय

बजट नियमावली के अनुसार निधियों के प्रावधान के बिना स्कीम/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि मामलों में मूल आकलनों/अनुपूरक मांग में बिना किसी प्रावधान तथा इस आशय के बिना किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के ₹736.31 करोड़ का व्यय किया गया जैसा कि तालिका-2.4 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका-2.4: 2010-11 के दौरान बिना प्रावधान के किया गया व्यय

अनुदानों/विनियोजनों की संख्या व नाम	बिना प्रावधान के व्यय राशि	टिप्पणियां	(₹ करोड़ में)
05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन- 2245/80/102/01	149.95	कारण प्रतीक्षित थे।	
07-पुलिस तथा समवर्गी संगठन- 4055/211/03	0.31	कारण प्रतीक्षित थे।	
13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता - (i) 4701/01/799/01 तथा 03 (ii) 4701/15/799/01, 02 तथा 03	0.18 0.60	कारण प्रतीक्षित थे।	
23-विद्युत विकास- 4801/01/190/08	24.24	कारण प्रतीक्षित थे।	

2.3.4 **অন্তর্বিদ্যুতি পরিমাণ ও কার্যক্ষমতা** এবং **পরিস্থিতি ও কার্যক্ষমতা** এবং **পরিস্থিতি ও কার্যক্ষমতা**

29- पात्र -	१५०	७३६.३१	७३६.३१
(i) २०४९/०१/१०१/२०, ५५, ६१, ६५-६७ ग्रन्थ ७०-७८	१४६.४८	४१४.४१	२०४९/०१/१२२/०१
(ii) २०४९/०१/१०१/२०, ५५, ६१, ६५-६७ ग्रन्थ ७०-७८	१४६.४८	०.०४	२०४९/०१/१०१/०१
(iii) २०४९/०१/१२२/०१	४१४.४१	०.०४	२०४९/०६/१०१/०१
(iv) २०४९/०१/१२२/०१	०.१०	०.१०	२०४९/०६/१०१/०४

करना (दो मामले), कोडल औपचारिकताओं जैसे निविदाओं का आमंत्रण आदि को अंतिम रूप न देना (आठ मामले), कार्यस्थल विवाद (दो मामले) और उपयुक्त कार्यस्थल को अंतिम रूप न देना (एक मामला) जैसे कारणों से कार्य आरम्भ न होने के कारण अप्रयुक्त रहे।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2010-फरवरी 2011)। इस प्रकार सम्बन्धित मण्डलों द्वारा पूर्व-अपेक्षित औपचारिकताओं को सुनिश्चित किए बिना तथा अवसंरचना हेतु संस्वीकृत कार्यों के निष्पादनार्थ अपेक्षित कार्यस्थलों तथा भूमि आदि की उपलब्धता के बिना विभिन्न विभागों/एजेंसियों से निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत अप्रयुक्त पड़ी निधियों को प्राप्त किया गया था।

इस प्रकार ₹14.70 करोड़ की निक्षेप राशि एक तथा 11 वर्षों के मध्य अवधियों हेतु अप्रयुक्त रही तथा जिस उद्देश्य के लिए निधियां संस्वीकृत की गई थीं, वह पूरा नहीं हो सका।

2.3.5 विगत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधानों के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को राज्य विधानसभा से अनुदान/विनियोजन के अतिरिक्त आधिक्य को नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय नियमनार्थ कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परन्तु व्यय के आधिक्य का नियमन लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखे पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है। तथापि, 2008-2010 वर्षों हेतु ₹1,444.32 करोड़ की राशि के व्यय आधिक्य का नियमन अभी किया जाना था जिसका ब्लौरा परिशिष्ट-2.3 में दिया गया है। नियमन के लिए लम्बित आधिक्य व्यय की वर्षवार राशि नीचे सारांशित की गई है।

तालिका-2.5: विगत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधानों के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

वर्ष	निम्नांकित की संख्या		प्रावधान के अतिरिक्त आधिक्य राशि	नियमन स्थिति	(₹ करोड़ में)
	अनुदानों	विनियोजनों			
2008-09	11	3	556.52	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेज दी गई। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।	
2009-10	19 (21 मामले)	1	887.80	वित्त विभाग से स्वयंभेव उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।	
योग			1,444.32		

2.3.6 वर्ष 2010-11 के दौरान प्रावधान के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

2010-11 के दौरान परिशिष्ट-2.4 में दिए गए विवरण के अनुसार विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत अनुदान/विनियोजन की तुलना में 26 अनुदानों/विनियोजनों में कुल ₹2237.64 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत अधिक व्यय का विनियमन करना अपेक्षित है।

(ጥቅምት-2.8) በተደረገው የሚከተሉት ማስቀመጥ (ተዘጋጀ መሬት ይችል ተከራክር ነው 50 የዚሁም ተስፋይነት ተስፋይነት-2.8)

2.3.10 অর্থনৈতিক পদক্ষেপ

2.3.9 اتلاعات

1148 15 1b4v 19r

2.3.8 የተገኘበት ዓይነት ማተሚያዎች/ማተሚያዎች ከተደረገበትን

በዚህ የትምህር ተስፋዎች አንቀጽ ተከተል ተደርጓል፡፡ እና ይህንን ስለመሆኑ የሚከተሉት የትምህር ተስፋዎች አንቀጽ ተከተል ተደርጓል፡፡

2.3.7 არაგვის/არგვის/არგვის არაგვის

תאזרחהן אוניברסיטאות ומוסדות מחקר (

11	11.2
----	------

 שנות ה-11) ו-11.2).

2.3.12 Առավելագույն պահ պիտի չփակացնել են ահաւութեան

2.3.11 النحو والمعنى في الروايات

2011 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国刑法修正案(八)》对刑法第 347 条第 4 款的规定进行了修改，将“情节严重的”修改为“情节特别严重的”，从而加重了对走私、贩卖、运输、制造毒品罪的处罚。

፩.	መ/ቤት	የተከፈለ ደንብ	የመ/ቤት ማስቀመጥ	የቤት በፊርማ	ቤት	መ/ቤት አድራሻ
1.	03	2014-የተከፈለ ደንብ	15.67	16		
2.	08	2202-የተከፈለ ደንብ	33.05	1		
3.	08	4202-የተከፈለ ደንብ, የቤት, የቤት ደንብ ተከታታይ የቤት በፊርማ	30.57	23		
4.	13	4711-የተከፈለ ደንብ ተከታታይ የቤት ደንብ ተከታታይ የቤት በፊርማ	12.82	3		
5.	15	5002-የተከፈለ ደንብ ተከታታይ የቤት ደንብ ተከታታይ የቤት በፊርማ	25.00	15		
6.	22	2408-የተከፈለ ደንብ ተከታታይ የቤት በፊርማ	22.50	19		
7.	25	5055-የተከፈለ ደንብ ተከታታይ የቤት ደንብ ተከታታይ የቤት በፊርማ	15.32	46		
8.	28	2217-የተከፈለ ደንብ ተከታታይ	25.93	22		
9.	29	2049-የተከፈለ ደንብ	288.11	13		
10.	29	6003-የተከፈለ ደንብ ተከታታይ የቤት	146.70	14		
					ቤት	615.67

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

31 تاریخ 2011 سال ۱۰ شماره ۲۷۸ به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شد.

अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹26.86 करोड़ (15 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ जैसा कि तालिका 2.7 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका-2.7: अभ्यर्पित न की गई ₹ एक करोड़ और उससे अधिक की बचत से सम्बन्धित मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई
1.	29-वित्त	156.39	146.70	9.69
2.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	18.49	1.32	17.17
	योग	174.88	148.02	26.86

2.3.13 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन मास में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचना चाहिए। इसके विपरीत परिशिष्ट-2.11 में सूचीबद्ध 24 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में ₹10 करोड़ से अधिक का व्यय तथा वर्ष हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत से भी अधिक मार्च 2011 के मास में खर्च किया गया। तालिका-2.8 मुख्य शीर्षों को दर्शाती है जहां व्यय 50 प्रतिशत से अधिक या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही अथवा अंतिम मास के दौरान किया गया।

तालिका-2.8: वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (दत्तमत)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2011 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	2059 (वी)	157.85	102.95	65	65.02	41
2.	2217 (वी)	85.97	45.98	53	42.96	50
3.	2225 (वी)	61.39	32.89	54	27.32	45
4.	2402 (वी)	50.33	30.53	61	25.13	50
5.	2425 (वी)	26.64	15.17	57	11.70	44
6.	2851 (वी)	37.97	24.63	65	20.35	54
7.	4059 (वी)	42.81	30.97	72	26.16	61
8.	4202 (वी)	192.00	102.66	53	76.09	40
9.	4701 (वी)	33.73	21.23	63	18.43	55
10.	4702 (वी)	118.28	75.30	64	71.58	61
11.	4711 (वी)	119.54	70.86	59	50.00	42
	योग	926.51	553.17	60	434.74	47

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

2.5. *אלאטיה בתקופה מודרנית*

12 புகைலை

12 ॥१॥ ॥२॥ ॥

L101W

2.4.1 ԱՐ ՏԻՂԻՄԻԴՐԻ ՊԱՄՆ ՉՈՎՈՒՅԹ ԱԼԵՎԻՇԽԱՐ ՏԻՂԻՄԻԴՐԻ ՊԱՄՆ ՉՈՎՈՒՅԹ

2.4 የኢትዮጵያ ሰነዱና የዚህ በቻ አገልግሎት

- वर्ष के दौरान ₹74.15 करोड़ (₹0.23 लाख के ऋणात्मक शेष वाले दो व्यक्तिगत निक्षेप लेखे सहित) के शेष वाले 80 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- चालू वर्ष के दौरान ₹0.51 करोड़ (₹0.16 लाख के ऋणात्मक शेष वाले एक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा सहित) की राशि से अन्तर्ग्रस्त 52 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में नहीं थे। इनमें से ₹3.57 लाख के शेष वाले 11 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे पांच वर्षों से अधिक से परिचालन में नहीं थे।
- व्यक्तिगत निक्षेप लेखे सामान्य रूप से क्रेडिट शेष के साथ बन्द होने चाहिए क्योंकि निक्षेप के प्रति भुगतान प्राप्त निक्षेपों से बढ़ना नहीं चाहिए। तीन मामलों (परिशिष्ट-2.13) में ₹0.39 लाख के प्रतिकूल शेष थे जो गलत वर्गीकरण, अधिक भुगतानों, लेखों का मिलान न करने अथवा कुछ अन्य कारणों जिनकी जांच तथा संशोधन किया जाना अपेक्षित था, से हो सकते थे।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में निधियों को रखने की प्रथा निधियों के दुरूपयोग का जोखिम बढ़ाती है और इसलिए इसे रोकने की आवश्यकता है।

2.6 चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम

एक अनुदान (अनुदान संख्या 23-विद्युत विकास) की समीक्षा से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

(i) बजट प्रावधान की तुलना में आधिक्य नियमन के लिए प्रतीक्षित

2010-11 के दौरान ₹634.73 करोड़ (राजस्व प्रवर्ग: ₹631.76 करोड़; पूंजीगत प्रवर्ग: ₹2.97 करोड़) का कुल आधिक्य था। ऐसे आधिक्य को अंशदान देने वाले अनुदान के मुख्य शीर्ष का ब्लौरा नीचे दिया गया है:

तालिका-2.9: बजट प्रावधान की तुलना में अधिक व्यय

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	आधिक्य	अधिक व्यय की प्रतिशतता
		राजस्व (दत्तमत)	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन			
1.	2801-विद्युत	153.85	7.12	(-) 0.44	160.53	792.88	632.35	394

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

₹632.35 करोड़ का आधिक्य मुख्यतः फरवरी 2004 और फरवरी 2007 के मध्यावधि से सम्बन्धित गलत वर्गीकरण के संशोधन के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित मुख्य शीर्ष 6003-109-12 से ₹643.08 करोड़ के अंतरण के कारण था। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त मामले में ₹7.12 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान भी आधिक्य व्यय को आवृत्त करने में अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

(ii) निधियों का अभ्यर्पण

अनुदान संख्या 23 के अंतर्गत समग्र बजट प्रावधान तथा व्यय की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2010-11 के दौरान ₹634.73 करोड़ का कुल आधिक्य था। तथापि, विभाग ने निधियों के अधिक प्रावधान हेतु अनुरोध करने की अपेक्षा वर्ष के दौरान ₹0.49 करोड़ राशि का अभ्यर्पण किया।

ପାତ୍ର କିମ୍ବା ପାତ୍ରକାଳୀନ କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର
କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର
କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର

। ପାତ୍ରକାଳୀଙ୍କ କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ወቃድ በዚህ የዕለታዊ አገልግሎት የሚያስፈልጉ የሚከተሉ ደንብ መሆኑን የሚያሳይ

አዲስ አበባ, የኢትዮጵያ ሥነ ፖሮግራም፡ ቁ13.94 ችሎድ) ይቻቻ ሚኒስቴር

2.7 فنونی فنونی فنونی

﴿وَمَنْ حَلَّ لِكُلِّ أَنْوَارٍ فَإِنَّمَا يُنَزَّلُ لِرَبِّ الْأَنْوَارِ﴾

। इति विष्णुवाचः

अध्याय-3

वित्तीय विवरण

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना सहित ठोस आंतरिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार के कुशल तथा प्रभावी शासन को महत्वपूर्ण सहयोग देता है। इस प्रकार ऐसी अनुपालनाओं की स्थिति पर विवरण की सामयिकता तथा गुणवत्ता के साथ-साथ नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों की अनुपालना सफल शासन के गुणों में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रणों पर विवरण यदि प्रभावी व परिचालनात्मक हैं तो राज्य सरकार को अनुकूल योजना तथा निर्णय लेने सहित इसकी मूल प्रबन्धकता उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों सहित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा स्थिति को उपलब्ध करवाता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्य हेतु दिए गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें इनकी संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर अन्यथा जब तक निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रेषित किए जाने चाहिए। तथापि मार्च 2011 तक ₹1547.57 करोड़ के अनुदानों व ऋणों के सम्बन्ध में देय 42,439 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹907.68 करोड़ की कुल राशि के 9,547 उपयोगिता प्रमाणपत्र (22 प्रतिशत) मार्च 2011 तक लम्बित थे जिनमें से ₹29.03 करोड़ के 262 उपयोगिता प्रमाणपत्र पांच वर्षों से अधिक की अवधि से लम्बित थे। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभाग-वार व्यौरा परिशिष्ट-3.1 में दिया गया है तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अवधि-वार विलम्ब तालिका 3.1 में सारांशित किया गया है।

तालिका-3.1: 31 मार्च 2011 तक उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अवधि-वार बकाया

क्रमांक	विलम्बावधि (संख्या वर्षों में)	प्रदत्त कुल अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र (₹ करोड़ में)	
		मामलों की संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	0 – 1	16382	718.09	5341	465.44
2.	1 – 3	24730	740.77	3423	379.20
3.	3 – 5	950	52.60	521	34.01
4.	5 – 7	223	24.31	110	21.39
5.	7 – 9	151	6.27	151	6.27
6.	9 व इससे ऊपर	3	5.53	1	1.37
योग		42,439	1547.57	9547	907.68

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्यतया शिक्षा विभाग (3185 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹45.74 करोड़), ग्रामीण विकास (3236 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹525.45 करोड़), उद्योग (818 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹12.90 करोड़), कला एवं संस्कृति (765 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹3.81 करोड़), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (504 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹71.35 करोड़), शहरी विकास (59 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹112.22 करोड़), क्रीड़ा एवं युवा सेवाएं (67 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹8.64 करोड़), पर्यटन (चार उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹1.84 करोड़), सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं (24 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹7.65 करोड़), चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (646 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹46.11 करोड़) तथा सामान्य प्रशासनिक सेवाएं (57 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹6.90 करोड़) से सम्बन्धित थे।

3.3. የሚሸፍናውን ተግባር እና ማረጋገጫ

। পুরামূল পুরামূল

በመ/ቁጥር 11 ተወካይነት የተዘረዘሩት ቀን መ/ቁጥር 2011 ዓ.ም ንዑስ ይ.ኩ ተወካይነት የተዘረዘሩት ቀን መ/ቁጥር 2010-11 ዓ.ም የተዘረዘሩት ቀን መ/ቁጥር 11 ተወካይነት የተዘረዘሩት ቀን መ/ቁጥር 2011 ዓ.ም ንዑስ ይ.ኩ ተወካይነት የተዘረዘሩት ቀን መ/ቁጥር 2010-11 ዓ.ም

תכלית	I	II	III	IV
0 - 1	1	0 - 1	--	0 - 1
1 - 6	1 - 2	--	--	11
6 - 12	--	--	--	6 - 12
11	11	11	11	11

አልማዝ-3.2: ~~የተደረሰበት የከተማ አገልግሎት ማረጋገጫ በሚከተሉት የፈጸመዎች በፊርማ የተደረሰ እና ተደረስ ስለመ~~

3.2. **የኢትዮጵያዊ መተዳደሪያ/የሚተካሂዣበት ማኅንድ በተቋማ**

۱۷۰

፩ የፌዴራል ተስፋል እና ተስፋል ስምምነት ተስፋል የፌዴራል ተስፋል እና ተስፋል ስምምነት

ပုဂ္ဂန်များ-3.4: ဒုလိယတေသန၊ ဒုလိယတေ၊ ရှေ့ခြေ အတွက် သေဆုံးမှု ပါဝါယူရန်

3.3: ተወካይነት, የወጪነት, ተወስኝነት በአገሪቱ

2010-11 ఆచ శిల్ప తెగా తిల్హిల ఆచ 40 లొంగ అల్లాల్లికాల ఆచ 11 లే ఫెర్రాల్ 375 ఫెర్రాల్ డిల్ఫెర్ కెల్లి రెప్ల 1937

፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.
፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.
፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.
፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.
፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.	፩. ፩. ፩. ፩. ፩.

3.5. **መተዳደሪያ እና አካላት-መተዳደሪያ ቅዱ**

विभागीय अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अभ्युक्तियों पर कार्रवाई करने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का अपरदन हुआ।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का शीघ्र एवं उपयुक्त प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच करनी चाहिए।

3.6 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

9547 मामलों में ₹907.68 करोड़ की कुल राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्रों (22 प्रतिशत) को वित्तीय नियमावली के प्रावधान के अनुसार महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को नहीं भेजा गया जिसमें प्रस्तुत करने के लिए देय सबसे पुराने उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष 1998-99 से सम्बन्धित है। समयबद्ध तरीके से उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न करना सशक्त वित्तीय प्रबन्धन के नियमों के विपरीत है और सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ₹79.78 लाख की राशि से अंतर्गत दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि के 48 बकाया मामलों में से ₹53.89 लाख की राशि से अंतर्गत 25 मामलों में लंबित अंतिम कार्रवाई, विभागीय कार्यवाही तथा आपाराधिक जांच शुरू नहीं की गई जो उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए सरकार की ओर से पहल न करने को दर्शाता है। 31 मार्च 2011 को 7459 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट 20242 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां बकाया थीं जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का अपरदन हुआ।

धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन मामलों में दोषियों को दण्डित करने के लिए विभागीय जांच शीघ्र की जानी चाहिए। ऐसे मामलों की घटना को रोकने के लिए सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

शिमला
दिनांक:

6 FEB 2012

जे. विल्सन

(जे. विल्सन)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिस्तानकारित

नई दिल्ली
दिनांक:

8 FEB 2012

विनोद राय

(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



एवं विद्या

፩፭	የተከራከረ የሚከተሉ ስም	14.63%
፩፮	የተከራከረ የሚከተሉ ስም	14.01%
፩፯	የተከራከረ የሚከተሉ ስም	26.91%
፩፱	የተከራከረ የሚከተሉ ስም	13.12%
፩፲	የተከራከረ የሚከተሉ ስም	11.89%
፩፳	የተከራከረ የሚከተሉ ስም	13.23%
፩፴	የተከራከረ የሚከተሉ ስም	12.69%
፩፵	የተከራከረ የሚከተሉ ስም	12.84%
፩፶	የተከራከረ የሚከተሉ ስም	18.98%

1	ይ	2011	የተከተሉት	6077900 ማዋጥ 0.61 የትንሸስ	ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=325 ዓላማ/ብት/የትክክል)	109 ዓላማ/ብት/የትክክል	የተከተሉት ዓላማ ተከተል እና ተከተል	10%	4
2	ይ	2011	የተከተሉት	55673/ብት/የትክክል	ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=382 ዓላማ/ብት/የትክክል)	123 ዓላማ/ብት/የትክክል	የተከተሉት ዓላማ ተከተል እና ተከተል	10%	4
3	ይ	2011	የተከተሉት	109 ዓላማ/ብት/የትክክል	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ (2001)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=325 ዓላማ/ብት/የትክክል)	123 ዓላማ/ብት/የትክክል	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=382 ዓላማ/ብት/የትክክል)	76.50%	5
4	የተከተሉት	76.50%	የተከተሉት	83.78%	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ (2001)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=64.8%)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=74%)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=74%)	6	
5	የተከተሉት	83.78%	የተከተሉት	76.50%	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ (2001)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=64.8%)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=74%)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=74%)	6	
6	የተከተሉት	76.50%	የተከተሉት	83.78%	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ (2001)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=64.8%)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=74%)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=74%)	7	
7	የተከተሉት	83.78%	የተከተሉት	76.50%	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ (2001)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=64.8%)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=74%)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=74%)	7	
8	የተከተሉት	76.50%	የተከተሉት	83.78%	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ (2001)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=64.8%)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=74%)	(ቀ(2001) በተከተሉት ዓንቀጽ=74%)	8	

ମୁଦ୍ରଣ

Article 2: Article 267(2) of the Constitution of India: Article 267(2) of the Constitution of India provides that the Parliament may by law make any provision for the time being sufficient to give effect to any of the provisions of the Constitution.

ההנתקות מהתפקידים: הינה תקופה אוטונומית יוצאת מן הכלל מושגיה של מלחמת העצמאות.

(2) የሚቀርቡት ስራውን በቅርቡ; (3) የሚቀርቡት ስራውን በቅርቡ;

አቃቤት ቅዱት በተደረገው እና ማቅረብ የሚያስፈልግ ሰነድ

四-1116

۱-۱-۲۰۱۴

፡ මුද්‍රා සංඛ්‍යා තුනැත් නිවැරදි ප්‍රකාශනය

ቁጥር 2010-11 ዓ.ም ሲያስተካክል በትኩረት ነው । እና II ቀን ቀንተከተለዋል ተከሳሽ ጥሩ ነው । ተከሳሽ ተከሳሽ ተከሳሽ

፩፻፲፭ ቅድ ይሸም ሰነድ፡ ዘ-፳፷፮

۱۰۱-۲۱۶۷

1. **תְּהִלָּה תְּבִרְכָּה שְׁלֹמְגַדְּלָה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל**
תְּבִרְכָּה תְּבִרְכָּה מִזְמָרָת מִזְמָרָת מִזְמָרָת

የፌዴራል ተከራክረዋል የሚከተሉት ስምዎች መቀበል ነው፡

የግዢና ከተማው ቁጥር ይዘጋል ነውም ፖስታ ተንተዋል፤ ይህንን ስራውን አገልግሎት እንደተረጋግጧል፡፡

Activity-1.2

תפקידים	התקנות	התקנות	התקנות
התקנות תומך אבטחה	התקנות תומך אבטחה	התקנות תומך אבטחה	התקנות תומך אבטחה
התקנות תומך אבטחה	התקנות תומך אבטחה	התקנות תומך אבטחה	התקנות תומך אבטחה
התקנות תומך אבטחה	התקנות תומך אבטחה	התקנות תומך אבטחה	התקנות תומך אבטחה
התקנות תומך אבטחה	התקנות תומך אבטחה	התקנות תומך אבטחה	התקנות תומך אבטחה

| የዚህንን አገባብ ማስተካከለ ተደርጓልበት ነውም ገዢያቸው

| નોંધુણે

କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ

18P '11>4

Digitized by srujanika@gmail.com

לעומת מילון עברי-נורווגי.

But to my mind, this is the best of all the books I have seen.

۱۰۷

(2011 ዓ.ም መታወቃዎች ከጥር 25 ዓ.ም መታወቃዎች)
መታወቃዎች በትኩረቱ የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ

四-上

Figure-1.2

የኢትዮ-ፌ.ሪ. የኢትዮጵያ ቤትና ማህተም አገልግሎት					
መ-ቁጥር	መ-ቁጥር	መ-ቁጥር	መ-ቁጥር	መ-ቁጥር	መ-ቁጥር
(i) የዕለታዊ የሕዝብ ማስቀመጥ	1,656 (21)	1,958 (21)	2,22 (24)	2574 (25)	3643 (29)
ክፍለት ቤትና ማህተም አገልግሎት	914 (55)	1,092 (56)	1,246 (56)	1487 (58)	2101 (58)
ክፍለት ቤትና ማህተም አገልግሎት	106 (6)	114 (6)	136 (6)	134 (5)	163 (4)
የሕዝብ የዕለታዊ ማስቀመጥ	342 (21)	389 (20)	432 (19)	500 (19)	562 (15)
ክፍለት ቤትና ማህተም አገልግሎት	30 (2)	82 (4)	79 (4)	39 (2)	302 (8)
የሕዝብ የዕለታዊ ማስቀመጥ	93 (6)	87 (4)	98 (4)	113 (4)	133 (4)
የሕዝብ የዕለታዊ ማስቀመጥ	50 (3)	55 (3)	62 (3)	89 (3)	93 (3)
ክፍለት ቤትና ማህተም አገልግሎት	119 (7)	137 (7)	169 (7)	197 (8)	284 (8)
(ii) የዕለታዊ ቤትና ማህተም አገልግሎት	1,337 (17)	1,823 (20)	1,756 (19)	1784 (17)	1695 (13)
የሕዝብ የዕለታዊ ማስቀመጥ	629 (8)	794 (9)	838 (9)	862 (8)	1,715 (13)
የሕዝብ የዕለታዊ ማስቀመጥ	4,213 (54)	4,567 (50)	4,472 (48)	5126 (50)	5658 (45)
(iii) የዕለታዊ ቤትና ማህተም አገልግሎት	629 (8)	794 (9)	838 (9)	862 (8)	1,715 (13)
የሕዝብ የዕለታዊ ማስቀመጥ	119 (7)	137 (7)	169 (7)	197 (8)	284 (8)
የሕዝብ የዕለታዊ ማስቀመጥ	2 (-)	2 (-)	20 (1)	15 (1)	5 (0,1)
ክፍለት ቤትና ማህተም አገልግሎት	30 (2)	82 (4)	79 (4)	39 (2)	302 (8)
የሕዝብ የዕለታዊ ማስቀመጥ	93 (6)	87 (4)	98 (4)	113 (4)	133 (4)
የሕዝብ የዕለታዊ ማስቀመጥ	50 (3)	55 (3)	62 (3)	89 (3)	93 (3)
ክፍለት ቤትና ማህተም አገልግሎት	119 (7)	137 (7)	169 (7)	197 (8)	284 (8)
(iv) የዕለታዊ ቤትና ማህተም አገልግሎት	1,337 (17)	1,823 (20)	1,756 (19)	1784 (17)	1695 (13)
የሕዝብ የዕለታዊ ማስቀመጥ	629 (8)	794 (9)	838 (9)	862 (8)	1,715 (13)
የሕዝብ የዕለታዊ ማስቀመጥ	4,213 (54)	4,567 (50)	4,472 (48)	5126 (50)	5658 (45)
3. የዕለታዊ ቤትና ማህተም አገልግሎት	23	26	21	34	73
4. የዕለታዊ ቤትና ማህተም አገልግሎት (1+2+3)	7858	9168	9,329	10380	13430
5. የዕለታዊ ቤትና ማህተም አገልግሎት	2,080	1,849	2,249	2553	2411
6. የዕለታዊ ቤትና ማህተም አገልግሎት (4+5)	9,938	11,017	11,578	12933	15841
7. መካከል ቤትና ማህተም አገልግሎት	--	--	--	--	--
8. የዕለታዊ ቤትና ማህተም አገልግሎት	5,265	6,223	6,760	6821	8507
9. የዕለታዊ ቤትና ማህተም አገልግሎት (6+7+8)	15,203	17,240	18,338	19754	24348
10. ተናሱ ዘመን ቤትና ማህተም አገልግሎት	7,644	8,292	9,438	11151	13946
አገልግሎት ቤትና ማህተም አገልግሎት (9+10)	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11

(הגדה: הגדת 1.3, 1.4.3, 1.6.4 הגדת 1.7.2; הגדת-8, 15, 24 הגדת 25)

۱-۲۰۱۹

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
11. पूँजीगत व्यय	1,110	1414	2079	1943	1789
योजनागत	1,043 (94)	1,313 (93)	1,992 (96)	1895(98)	1774(99)
आयोजनेतर	67 (6)	101 (7)	87 (4)	48(2)	15(1)
सामान्य सेवाएं	61 (5)	59 (4)	64 (3)	63(3)	73(4)
सामाजिक सेवाएं	575 (52)	586 (42)	833 (40)	610(31)	611(34)
आर्थिक सेवाएं	474 (43)	769 (54)	1,182 (57)	1270(65)	1105(62)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	26	14	90	70	227
13. जोड़ (10+11+12)	8,780	9,720	11,607	13164	15962
14. लोक ऋण की चुकौतियां	1,311	937	885	867	870
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1,182 (90)	839	829	811	808
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	42	--	--	--
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	129 (10)	56	56	56	62
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	--	--	--	--
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	10,091	10,657	12,492	14031	16832
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	5,370	5,737	5,690	6421	7162
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	15,461	16,394	18,182	20,452	23,994
भाग ग. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/ राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(+) 191	(+) 850	(-) 130	(-) 805	(-)1235
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 922	(-) 552	(-) 2,278	(-) 2784	(-)2532
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(+) 747	(+) 1,151	(-) 384	(-) 828	(-)582
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां	1,669	1,703	1,894	1956	1950
(राजस्व व्यय में सम्मिलित)					
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	399	467	582	718	849
25. प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (दिवस)	01	--	--	--	--
प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिवस)	01	--	--	--	--
प्राप्त किए गए अधिविकर्ष (दिवस)	--	--	--	--	--
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	0.89	--	--	--	--
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद[®]	30274	33963	38571	43281	52426
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	18,071	19,419	21,819	23713	26415
29. बकाया गारण्टीयां (वर्षान्त)	2,976	2,632	2,291	1949	3910
(ब्याज सहित)					
30. गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	6,347	6,450	6,076	4361	6232
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	30	20	17	29	11
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूँजी अवरोधन	160	121	96	108	86
भाग ड़ : राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07
स्वकीय कर-भिन राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30

। কৃষ্ণ প্রাণের জন্ম কোথা থেকে ?

總計 699.96 元 (643.08 元 + 56.88 元) 諸君請收帳

1. **ቍና የሚገኘውን ቁጥር** (ቁጥር) በተመለከተውን ቁጥር ይላል እና የሚከ-ከና ቁጥር ይጠናል ይረዳል

1 የ ተወካይ አገልግሎት ነው ይህንን የ ትምህር መሆኑን የ ተወካይ አገልግሎት ነው ይህንን የ

III ተወካይ የሚገኘውን አካል መሆኑን (አዋጅ)		II የሚቀጥሉት ተወካይ አካል መሆኑን		I የሚቀጥሉት ተወካይ አካል መሆኑን	
0.36	0.36	0.36	0.34	0.186	(-2.36)
(-)3.05	(-)1.63	(-)5.91	(-)6.43	(-)4.83	(-)2.36
2.47	3.39	1.00	1.91	1.11	(-48.78)
0.256	0.267	0.237	0.236	0.240	0.22
2.31	2.12	2.34	2.29	2.07	(-0.165)
0.60	0.57	0.57	0.55	0.50	(-0.165)
IV ተወካይ የሚገኘውን አካል መሆኑን		V የሚቀጥሉት ተወካይ አካል መሆኑን		VI የሚቀጥሉት ተወካይ አካል መሆኑን	
1.80	0.52	89.58	73.49	64.11	(-2607)
(-)281	(+)113	(-)1.423	(-)2.642	0.66	(-0.66)
0.57	0.60	0.68	0.67	0.62	(-0.62)
VII የሚቀጥሉት ተወካይ አካል መሆኑን		VIII የሚቀጥሉት ተወካይ አካል መሆኑን		IX የሚቀጥሉት ተወካይ አካል መሆኑን	
1.25	1.25	1.27	1.27	1.25	(-0.165)
0.87	0.85	0.81	0.85	0.87	(-0.165)
1.12	1.06	1.25	1.27	1.26	(-0.165)
2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	(-0.165)

परिशिष्ट-1.4
(संदर्भ: परिच्छेद 1.1 तथा 1.7.1: पृष्ठ 1 व 24)

भाग-क
वर्ष 2010-11 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)							(₹ करोड़ में)			
प्राप्तियां			संवितरण							
2009-10			2010-11		2009-10		आयोजनेत्र	योजनागत	जोड़	2010-11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग-क राजस्व										
10346.36	I-राजस्व प्राप्तियां		12710.61	11151.00	I-राजस्व व्यय					13946.05 [#]
2574.52	(i) कर राजस्व	3642.38			सामान्य सेवाएं	5248.70	30.56	5279.26		
1783.66	(ii) कर-भिन्न राजस्व	1695.31			सामाजिक सेवाएं	4080.57	898.31	4978.88		
861.63	(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश्	1715.35			शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2345.34	343.55	2688.89		
2052.08	(iv) आयोजनेत्र अनुदान	2633.09			स्वास्थ्य एवं परिवर्त कल्याण	691.67	71.33	763.00		
2730.95	(v) राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	2680.22			जलाधार्ह, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	623.63	146.07	769.70		
343.52	(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय ग्रामीण योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	344.26			सूचना एवं प्रसारण	20.57	0.61	21.18		
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण	9.61	56.29	65.90		
					त्रिम एवं त्रिम कल्याण	35.17	5.87	41.04		
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	344.94	273.29	618.23		
					अन्य	9.64	1.31	10.95		
					आर्थिक सेवाएं	2959.32	722.84	3682.16		
					कृषि एवं सावद्ध कार्यकालाप	628.53	439.34	1067.87		
					ग्रामीण विकास	202.73	137.43	340.16		
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	255.24	3.67	258.91		
					ऊर्जा	795.36	1.66	797.02		
					उद्योग एवं खनिज	32.46	21.89	54.35		
					परिवहन	1008.32	109.91	1118.23		
					विज्ञान, शैक्षणिकी एवं पर्यावरण	2.11	1.49	3.60		
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	34.57	7.45	42.02		
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	5.75	-	5.75		
		योग			योग	12294.34	1651.71	13946.05		
804.64	II-प्रवर्ग-ख को लाया गया राजस्व घाटा	1235.44			II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष					
11151.00	योग:	13946.05 [#]	11151.00		योग:					13946.05 [#]

[#] बुक समायोजन के रूप में ₹699.96 करोड़ (₹643.08 करोड़ + ₹56.88 करोड़) की राशि सम्मिलित है।

2009-10			2010-11			2009-10			2010-11		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	आयोजनेतर	योजनागत	जोड़	
प्रवार्ता- ख-पूँजीगत											
979.24		III-स्थायी अंग्रेजी एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष		281.16		III-भारतीय रिजर्व बैंक से अथ अधिविकरण					
		IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियां		645.85	1943.44	IV-पूँजीगत परिवर्त्य	15.26	1773.73	1788.99	1788.99	
						समान्य सेवाएं	0.31	73.02	73.33	73.33	
						सामाजिक सेवाएं	-	611.32	611.32	611.32	
						शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	-	200.25	200.25		
						स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	66.25	66.25		
						जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	-	329.12	329.12		
						सूचना एवं प्रसारण	-	0.12	0.12		
						अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी प्रेषियों का कल्याण	-	6.93	6.93		
						सामाजिक कल्याण एवं भेदभान	-	8.24	8.24		
						अन्य	-	0.41	0.41		
						आर्थिक सेवाएं	14.96	1089.38	1104.34	1104.34	
						कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	(-) 3.81*	71.57	67.76		
						ग्रामीण विकास	-	0.05	0.05		
						सिंचाइ एवं बाढ़ नियंत्रण	-	308.57	308.57		
						ऊर्जा	-	160.00	160.00		
						उद्योग एवं खनिज	-	19.75	19.75		
						परिवहन	18.77	446.02	464.79		
						सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	83.42	83.42		
						योग	15.26	1773.72	1788.98	1788.98	
33.84	V-ऋणों एवं अंग्रेजी की बसूलियां		72.59	69.67	V- संवितरित ऋण एवं अंग्रेजी	4.06	222.50	226.56	226.56		
15.16	विद्युत परियोजनाओं से	57.16			विद्युत परियोजनार्थ	-	192.97	192.97			
13.77	सरकारी कर्मचारियों से	12.44			सरकारी कर्मचारियों को	2.41	5.49	7.90			
4.91	अन्य से	2.99			अन्य को	1.65	24.03	25.69			
-	VI-कम किया गया राजस्व अधिशेष		804.64	VI-कम किया गया राजस्व घाटा					1235.44*		

@ वाणिज्यिक शीर्ष होने के कारण व्यय ऋणात्मक है।

* बुक समायोजन के रूप में ₹699.96 करोड़ (₹643.08 करोड़ + ₹56.88 करोड़) की राशि सम्मिलित है।

प्रतिवेदन संख्या-1

2009-10			2010-11		2009-10		2010-11			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	2552.51	VII-लोक ऋण प्राप्तियां		2411.06	866.81	VII-लोक ऋण की चुकौती				869.65
2483.49	अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतरिक्ष आंतरिक ऋण	2372.26				अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतरिक्ष आंतरिक ऋण		807.39		
--	अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-			अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-		
69.02	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	38.80				केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती		62.26		
	VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन			-		VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन				
	IX-आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि			-		IX-आकस्मिकता निधि से व्यव				
6821.13	X- लोक लेखा प्राप्तियां		8506.79	6421.00		X-लोक लेखा संवितरण				7161.95
1659.48	लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	2165.72				लघु बचतें एवं भविष्य निधियां		1277.48		
294.82	आरक्षित निधियां	433.20				आरक्षित निधियां		494.15		
1223.55	निषेप एवं अग्रिम	1630.05				निषेप एवं अग्रिम		1297.09		
346.68	उच्चत एवं विविध	413.57				उच्चत एवं विविध		276.93		
3296.60	प्रेषण	3864.25				प्रेषण		3816.30		
	XI-भारतीय रिजर्व बैंक से इतिशेष अधिविकर्ष	-		281.16		XI-अंत में रोकड़ शेष				634.86
						खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		2.25		
						स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष		0.19		
						रिजर्व बैंक के पास निषेप		(-)274.11		
						रोकड़ शेष निवेश		906.53		
10386.72	योग:		11917.45	10386.72		योग:				11917.45

* बुक समायोजन के रूप में ₹643.08 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

የኢትዮጵያውያንድ የሚከተሉት በቻ ነው፡፡

31.03.2010 ዓ.ም	የጥቃቅዎች	31.03.2011 ዓ.ም	፩፭፻፰፯.፹፹	5657.85 ተወስኗልሁዋዊ እና አክዳመን ትወስኗልሁዋዊ-
2662.52	መተዳደሪያ ቅዱት ማስቀመጥ የሚገባው	2863.53	16800.99	12995.33 መተዳደሪያ ቅዱት ማስቀመጥ የሚገባው
329.31	አሁን ጥቅምት	483.28	200.47 የአዲስ ዘመን የሚከተሉት ደንብ የዚህ	76.84 መተዳደሪያ ቅዱት ማስቀመጥ
52.00	ተወካይ ቅዱት ማስቀመጥ የሚገባው	99.52	336.29	52.00 ተወካይ ቅዱት ማስቀመጥ
281.16	ታክስ -	634.86		
3.46	ማስቀመጥ የሚፈልግ ደንብ	2.25		(-) 305.09 በተመለከተ የሚፈልግ ደንብ
				(-) 274.11
0.16	የጥቃቅዎች ቅዱት	0.16		0.16 ተወስኗልሁዋዊ እና አክዳመን
0.03	ተወስኗልሁዋዊ	0.03		0.03 ተወስኗልሁዋዊ
582.60	ታክስ የሚፈልግ ደንብ	906.53		8099.67 ተወስኗልሁዋዊ እና አክዳመን ትወስኗልሁዋዊ
				9337.43
				27256.56
				24367.99

31 ዓ.ም 2011 ዓ.ም ቀን አውጥም ማኅበት የተዘጋጀ ተቋማ ተፈጻሚ ተደርጓል

(הנתק: הרכזת 1.1 מעת 1.7.1; הנק 1 א 24)

Page-14

31.03.2010 को	दायित्व	31.03.2011 को
16129.00	आंतरिक ऋण	17693.88
8834.90	ब्याज वाले बाजार ऋण	9224.26
0.14	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.03
379.86	भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	331.27
964.32	नाबार्ड से ऋण	1131.60
13.16	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	31.03
4285.64	केन्द्र सरकार की एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	4935.51
--	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	30.32
1650.98	अन्य संस्थाओं से ऋण	2009.86
983.95	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम -	960.48
14.18	आयोजनेतर ऋण	11.82
930.89	राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	913.82
0.14	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	0.12
38.61	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	34.59
0.13	अन्य ऋण	0.13
5.00	आकस्मिकता निधि	5.00
5214.11	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	6102.35
1247.18	निक्षेप	1580.14
138.30	आरक्षित निधियां	77.35
170.73	उच्चत एवं विविध शेष	309.69
479.72	प्रेषण शेष	527.67
24367.99		27256.56

2010-11 ዓ.ም. ደንብ አገልግሎት ተ ማስተካከል/የዚህ ተቋማ ማስታወሻ አለበት ተቋማ አለበት ተቋማ አለበት

(הנתק: הילוך 1.2.2; הגדה)

Unit-1.5

የኢትዮጵያ ቤትና የሚከተሉበት ስራዎች አንቀጽ 20 የሚከተሉት ስራዎች ይዘጋል

(הנתקה: הנתקה 2.3.1; הנתקה 34)

hilfe-2.1

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 35)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक था

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल	व्यय	अधिक व्यय	(₹ करोड़ में) अधिक व्यय की प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
			अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	
राजस्व-दत्तमत						
1. 05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन		358.11	769.26	411.15	115
2. 07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन		481.06	489.33	8.27	--
3. 09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		655.67	690.98	35.31	--
4. 10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन		1614.22	1833.83	219.61	--
5. 11	कृषि		184.33	196.54	12.21	--
6. 12	बागवानी		124.54	131.28	6.74	--
7. 13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता		1049.50	1636.22	586.72	56
8. 14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य		163.88	177.82	13.94	--
9. 16	वन एवं वन्य प्राणी		309.11	313.00	3.89	--
10. 18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति तथा सूचना प्रौद्योगिकी		45.11	48.63	3.52	--
11. 23	विद्युत विकास		163.37	795.13	631.76	387
12. 27	त्रम रोजगार तथा प्रशिक्षण		56.80	59.83	3.03	--
13. 29	वित्त		1936.00	2138.59	202.59	--
14. 31	जनजातीय विकास		483.83	519.11	35.28	--
15. 32	अनुसूचित जाति उप-योजना		329.32	336.72	7.40	--
पूंजीगत-दत्तमत						
16. 13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता		396.80	443.84	47.04	--
17. 23	विद्युत विकास		251.10	254.07	2.97	--
पूंजीगत-प्रभारित						
18. 10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन		3.32	5.42	2.10	63
		योग	8606.07	10839.60	2233.53	

परिशिष्ट-2.3
(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 37)

विगत वर्षों के प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	आधिक्य राशि	(₹ करोड़ में)	
				लोक लेखा समिति द्वारा विचाराधीन अवस्था	लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन
2008-09	11 अनुदान	7, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 28, 30, 31 तथा 32	556.52	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/ हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेज दी गई। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।	
	3 विनियोजन	2,3 तथा 29			
2009-10	19 अनुदान	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29 तथा 32	887.80	स्वयंमेव उत्तर वित्त विभाग से अभी तक प्रतीक्षित हैं। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।	
	1 विनियोजन	10			
योग			1444.32		

परिशिष्ट-2.4
(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 37)

2010-11 के दौरान प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक (राजस्व तथा पूँजीगत)	कुल अनुदान	व्यय	(राशि ₹ में)
				आधिक्य
1.	01-विधान सभा	12,73,31,000	12,97,12,761	23,81,761
2.	04-सामान्य प्रशासन	93,83,41,116	94,80,78,714	97,37,598
3.	05-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	358,11,03,919	769,26,00,526	411,14,96,607
4.	07-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	481,06,15,295	489,32,57,367	8,26,42,072
5.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	655,67,34,000	690,98,43,116	35,31,09,116
6.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	1614,22,34,000	1833,82,55,928	219,60,21,928
7.	11-कृषि	184,33,25,000	196,53,53,818	12,20,28,818
8.	12-बागवानी	124,54,07,000	131,27,54,734	6,73,47,734
9.	13-सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	1049,49,88,000	1636,21,70,729	586,71,82,729
10.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास व मत्स्य	163,87,55,200	177,81,89,537	13,94,34,337
11.	16-वन व वन्य प्राणी	309,11,00,000	313,00,25,060	3,89,25,060
12.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	45,11,38,000	48,63,27,445	3,51,89,445
13.	23-विद्युत विकास	163,36,72,000	795,12,92,899	631,76,20,899
14.	26-पर्यटन एवं नागरिक विमानन	8,50,00,000	8,88,34,076	38,34,076
15.	27-श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	56,80,39,000	59,82,66,977	3,02,27,977
16.	29-वित्त	1935,99,87,000	2138,59,32,863	202,59,45,863
17.	30-विविध सामान्य सेवाएं	48,18,57,000	48,83,82,303	65,25,303
18.	31-जनजातीय विकास	483,82,77,000	519,10,86,689	35,28,09,689
19.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	329,32,05,000	336,71,54,314	7,39,49,314
20.	07-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन (पूँजीगत-दत्तमत)	20,20,94,000	20,90,64,000	69,70,000
21.	11-कृषि (पूँजीगत-दत्तमत)	64,32,80,000	64,52,99,282	20,19,282
22.	13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (पूँजीगत-दत्तमत)	396,80,37,075	443,84,43,123	47,04,06,048
23.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास व मत्स्य (पूँजीगत-दत्तमत)	8,31,46,000	9,19,78,000	88,32,000
24.	23-विद्युत विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	251,10,01,000	254,07,25,000	2,97,24,000
25.	02-राज्यपाल तथा मंत्री परिषद् (राजस्व-प्रभारित)	3,29,66,000	3,39,98,864	10,32,864
26.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन (पूँजीगत-प्रभारित)	3,32,10,000	5,41,81,949	2,09,71,949
योग		8865,48,43,605	11103,12,10,074	2237,63,66,469
				अथवा ₹2237.64 करोड़

परिशिष्ट-2.5
(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 38)

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ हजार में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
पूंजीगत					
1.	16-वन व बन्य प्राणी	2,80,01	2,47,69	32,32	11,99
2.	31-जनजातीय विकास	134,01,38	133,24,26	77,12	90,23
3.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	420,68,00	404,89,30	15,78,70	2,69,89
	योग	557,49,39	540,61,25	1,68,814	3,72,11 अशब्दा ₹3.72 करोड़

परिशिष्ट-2.6
(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 38)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान तथा विनियोजन का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	(₹ करोड़ में) आधिक्य
							राजस्व
1.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	324.19	33.92	358.11	769.26	411.15
2.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	421.77	59.29	481.06	489.33	8.27
3.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	588.68	66.99	655.67	690.98	35.31
4.	11	कृषि	122.71	61.62	184.33	196.54	12.21
5.	12	बागवानी	95.33	29.21	124.54	131.28	6.74
6.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	999.16	50.34	1049.50	1636.22	586.72
7.	14	पशुपालन, दुर्घट विकास एवं मत्स्य	135.37	28.50	163.87	177.82	13.95
8.	23	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	156.21	7.16	163.37	795.13	631.76
9.	29	वित्त	1885.54	50.46	1936.00	2138.59	202.59
10.	31	जनजातीय विकास	467.91	15.92	483.83	519.11	35.28
पूँजीगत							
11.	10	लोक निर्माण-सङ्केत, पुल व भवन (प्रभारित)	0.00	3.32	3.32	5.42	2.10
12.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	334.17	62.63	396.80	443.84	47.04
योग			5531.04	469.36	6000.40	7993.52	1993.12

ክፍል	ክፍል	ክፍል	ክፍል	ክፍል	ክፍል	ክፍል	ክፍል
1	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	205-109-01	171.60	542.04	2210-02-001-02	29.63	582.69
2	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	205-109-01	171.60	542.04	2210-03-110-01	1,351.68	385.57
3	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2210-04-101-02	39.02	1,280.96	2210-04-101-02	(-)0.02	284.68
4	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2401-800-12	(-)0.02	284.68	2401-800-13	127.32	593.30
5	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2210-03-110-01	2.27	203.65	2215-01-101-01	34.62	561.50
6	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2059-80-799-01	6,651.94	3,663.11	3054-04-105-06	(-)8,615.53	616.99
7	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2059-80-799-01	6,651.94	3,663.11	2215-01-102-03	1,298.06	997.90
8	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2401-800-12	(-)0.02	284.68	2215-01-101-02	(-)36.78	1,283.81
9	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2401-800-13	127.32	593.30	2215-01-102-03	1,298.06	997.90
10	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2215-01-102-03	1,298.06	997.90	2215-01-102-01	(-)0.02	4215-01-102-01
11	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2401-119-19	2.27	203.65	2702-80-001-01	(-)1,325.81	1,058.71
12	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2215-01-101-01	34.62	561.50	2702-80-001-02	(-)83.49	1,406.33
13	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2215-01-101-02	(-)36.78	1,283.81	4215-01-102-18	(-)0.01	520.81
14	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2215-01-102-03	1,298.06	997.90	4215-01-102-19	(-)0.01	1,266.12
15	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2215-01-102-03	1,298.06	997.90	4701-12-800-02	(-)0.29	201.07
16	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2215-01-102-03	1,298.06	997.90	4702-799-01	2,769.70	(-) 387.93
17	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2406-01-001-02	203.28	374.96	2406-01-001-02	2,769.70	(-) 387.93
18	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2015-109-01	(-)248.25	236.34	2015-109-01	(-)248.25	236.34
19	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2851-102-19	(-)747.15	202.18	2851-102-19	(-)747.15	202.18
20	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	4215-01-102-01	(-)0.20	4,801.62	4215-01-102-18	(-)0.01	520.81
21	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	4215-01-102-19	(-)0.01	1,266.12	4215-01-102-19	(-)0.01	1,266.12
22	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	4701-12-800-02	(-)0.29	201.07	4701-12-800-02	(-)0.29	201.07
23	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	4702-799-01	2,769.70	(-) 387.93	4702-799-01	2,769.70	(-) 387.93
24	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2406-01-001-02	203.28	374.96	2406-01-001-02	2,769.70	(-) 387.93
25	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2015-109-01	(-)248.25	236.34	2015-109-01	(-)248.25	236.34
26	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2851-102-19	(-)747.15	202.18	2851-102-19	(-)747.15	202.18
27	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2235-60-200-11	1,183.58	205.75	2235-60-200-11	1,183.58	205.75
28	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2071-01-101-02	(-)4,112.48	15,724.67	2071-01-101-02	(-)4,112.48	15,724.67
29	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2071-01-105-02	4,232.19	7,275.86	2071-01-105-02	4,232.19	7,275.86
30	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2071-01-115-01	1,778.31	1,142.63	2071-01-115-01	1,778.31	1,142.63
31	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2071-01-115-01	1,778.31	1,142.63	2071-01-101-03	(-)3,844.64	(-) 4,063.83
32	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2071-01-101-03	(-)3,844.64	(-) 4,063.83	2071-01-101-04	(-)288.44	(-) 786.34
33	የተተለገው ንግድ ተስፋዬ	2071-01-101-04	(-)288.44	(-) 786.34			

የተተለገው ንግድ ተስፋዬ/3119ኛውን/3194ኛውን/3195ኛውን ተስፋዬ

(ክፍል: የጥቅምት 2.3.8; ክፍ 38)

አዋጅ-2.7

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिकार्य (+)/ बचत (-)
34			2049-01-101-01	1,651.99	(-)1,652.00
35			2049-01-101-02	821.99	(-) 822.00
36			2049-01-101-03	1,649.99	(-)1,650.00
37			2049-01-101-05	4,898.75	(-) 4,898.76
38			2049-01-101-51	432.90	(-) 432.91
39			2049-01-200-07	200.00	(-) 235.35
40			2049-01-200-19	(-)500.00	(-) 212.71
41			2049-01-200-21	1,177.79	(-) 41,500.00
42			2049-01-101-04	2,555.99	(-)1,731.00
43			2049-03-104-03	(-)152.08	235.72
44			2049-03-108-01	(-)205.58	342.69
45			6003-106-01	702.47	(-)702.48
46	31	जनजातीय विकास	2202-02-796-03	60.48	201.01
47			2215-01-796-01	239.74	(-) 221.21
48			2215-01-796-01	13.96	260.03
49			3054-04-796-02	(-)29.12	980.22
50			2215-01-796-09	137.41	(-) 288.31
51	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	2210-03-789-01	(-)13.96	405.07
52			4202-01-789-05	(-)6.25	(-) 618.75
53			4210-02-789-01	(-)4.71	(-) 466.30
54			4701-01-789-05	(-)300.00	300.00
55			4701-20-789-04	299.99	(-) 300.00

परिशिष्ट-2.8
(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 38)

वर्ष के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्थण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्थण राशि (₹10 लाख तथा इससे ऊपर)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्थण की प्रतिशतता
1	3	2014-105-04	555.00	555.00	100
2	3	2014-114-05	100.00	82.72	83
3	3	2059-01-053-40	71.00	51.00	72
4	3	2070-105-04	20.80	18.79	90
5	3	4059-01-051-29	200.00	200.00	100
6	8	2202-111-01	3300.00	2475.00	75
7	8	2202-800-05	21.80	20.69	95
8	15	3451-101-01	350.00	350.00	100
9	15	5002-01-120-01	2500.00	2500.00	100
10	15	5475-800-05	200.00	200.00	100
11	16	4406-01-070-01	50.00	26.32	53
12	19	4225-80-800-03	50.00	50.00	100
13	25	5055-800-01	1532.00	1532.00	100
14	29	3454-02-112-03	163.00	120.62	74
15	29	2049-01-200-05	400.00	289.90	72
16	29	2049-01-200-08	1000.00	999.00	99.90
17	29	2049-01-200-20	27900.00	15730.00	56
18	29	2049-03-104-03	160.00	152.08	95
19	29	7610-201-01	36.00	24.75	69
योग			38609.60	25377.87	
अथवा				अथवा	
₹386.10 करोड़				₹253.78 करोड़	

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 38)

वर्ष के दौरान शत प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या व शीर्षक	स्कीम का नाम (लेखा शीर्ष)	अभ्यर्पण राशि (₹ लाख में)	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	03-न्याय प्रशासन	13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रातःकालीन व सांयकालीन न्यायालयों पर व्यय (2014-105-04)	555.00	100
कोडल औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
2.	03-न्याय प्रशासन	13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत न्यायिक अकादमी के भवन निर्माण पर व्यय (4059-01-051-29)	200.00	100
कोडल औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
3.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	मुख्यालय (3451-101-01)	350.00	100
कोडल औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
4.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	रेलवे लाईनों का निर्माण (5002-01-120-01)	2,500.00	100
मुख्य कार्यों के निष्पादन हेतु योजना सीमा में कमी के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
5.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	जिला योजना अधिकारी/स्टॉफ को सरकारी आवास का निर्माण (5475-800-05)	200.00	100
योजना सीमा में कमी के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया। 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान समस्त राशि भी अभ्यर्पित की गई				
6.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों/लड़कियों के छात्रावास का निर्माण (4225-80-800-03)	50.00	100
मुख्य कार्यों का निष्पादन न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
7.	25-सड़क एवं जल परिवहन	हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा जुटाए गए ऋण की चुकौती (5055-800-01)	1,532.00	100
योग 5387.00 अथवा ₹53.87 करोड़				

የኢትዮ-ፋይናርያን ቤት ከተማ ስራውን አገልግሎት						
	መሸሪያ	መሸሪያ/ፋይናርያን ቤት ከተማ ስራውን አገልግሎት				
1.	06-ሚተዳደሩት ቤት ውስጥና	36.13	2.04	3.41	1.37	0.86
2.	15-ሚታወቂነት ቤት ውስጥና	43.56	7.78	8.64	2.82	1.78
3.	19-ጥብቅና ጥብቅ ቤት ውስጥና	288.91	0.54	3.36	0.06	25-ጥናት ቤት ውስጥና
4.	20-ጥብቅና ጥብቅ	304.88	4.06	5.84	0.76	21-እቀባዕለዎች
5.	20-ጥብቅና ጥብቅ	27.34	0.70	3.40	0.02	28-የፈትሮ የቅርቡ, ተቻቷ ቤት ስሜ ይተካክ ባልቤት
6.	25-ጥናት ቤት ውስጥና	101.44	3.38	25.83	0.10	03-የቀረብ የቅርቡ
8.	29-የቀረብ የቅርቡ	23.03	0.66	0.68	0.02	9.
		2232.20	282.43	288.11	5.68	3175.29
		327.42	340.13	12.71		

(አዲስ፡ ከተማ 2.3.11፣ ዓይ 39)

Afghan-2.10

परिशिष्ट-2.11
(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.13; पृष्ठ 40)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	स्कीम/सेवा का लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2011 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2011 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी- मार्च 2011	मार्च 2011
1.	03-न्याय प्रशासन	4059-01-051-15	12.39	10.75	17.94	69	60
2.	05-भू-राजस्व व जिला प्रशासन	2245-80-102-01	150.00	150.00	150.00	100	100
3.	08-शिक्षा	2202-01-111-01	46.50	25.65	46.50	100	55
4.	08-शिक्षा	2202-01-111-02	13.26	13.26	13.26	100	100
5.	08-शिक्षा	2202-03-102-01	26.51	26.51	26.51	100	100
6.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	2059-80-053-04	12.67	10.09	18.72	68	54
7.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3054-03-103-11	57.30	43.21	84.07	68	51
8.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-06	155.48	117.86	216.18	72	55
9.	11-कृषि	2401-00-800-13 (SONA)	20.40	19.11	34.25	60	56
10.	13-सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	2702-80-001-06	47.83	37.80	65.34	73	58
11.	13-सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	4215-01-101-01	12.15	11.88	14.00	87	85
12.	13-सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	4702-00-101-06	10.94	10.26	13.26	83	77
13.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235-60-102-01	38.51	38.51	38.51	100	100
14.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235-60-102-02	15.81	15.81	15.81	100	100
15.	23-विद्युत विकास	2801-80-101-02	643.07	643.07	650.10	99	99
16.	23-विद्युत विकास	4801-01-190-07	32.75	32.75	45.00	73	73
17.	29-वित्त	2049-01-101-71	12.78	12.78	13.08	98	98
18.	29-वित्त	2049-01-101-82	34.38	34.38	51.18	67	67
19.	29-वित्त	2071-01-101-02	166.96	164.83	196.12	85	84
20.	29-वित्त	3054-04-796-05	27.15	26.93	28.64	95	94
21.	31-जनजातीय विकास	5054-04-796-01 (SONM)	18.74	17.95	33.02	57	54
22.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	4215-01-789-04 (SOOS)	34.11	33.91	36.46	94	93
23.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	4702-00-789-06 (SOOS)	12.23	11.92	12.50	98	95
24.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	6801-00-789-06 (SOOS)	58.20	58.20	58.20	100	100

परिशिष्ट-2.12
(संदर्भ: परिच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 41)

(i) 2006-11 के लिए सार आकस्मिक तथा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा

वर्ष	सार आकस्मिक बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल		सार आकस्मिक बिलों की प्रतिशतता के रूप में	बकाया सार आकस्मिक बिल		(₹ करोड़ में)
		संख्या	राशि		विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल	संख्या	
2006-07	340	25.38	335	20.66	99	5	4.72
2007-08	314	25.43	306	21.64	97	8	3.79
2008-09	308	69.95	282	40.58	92	26	29.37
2009-10	241	83.77	219	63.12	91	22	20.65
2010-11	276	24.28	225	1.51	82	51	22.77
योग	1479	228.81	1367	147.51		112	81.30

(ii) सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विभाग	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	राशि
1.	पशुपालन	1	0.0006
2.	आयुर्वेद	36	11.52
3.	सहकारिता	2	0.0007
4.	प्रारम्भिक शिक्षा	41	65.57
5.	वित्त (कोषालय एवं लेखा)	2	0.08
6.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16	3.76
7.	त्रिम एवं रोजगार	6	0.0017
8.	भाषा, कला एवं संस्कृति	1	0.001
9.	पंचायती राज	1	0.0008
10.	राजस्व (भूमि अभिलेख)	1	0.003
11.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1	0.004
12.	जनजातीय विकास	1	0.005
13.	युवा सेवाएं एवं क्रीड़ा	3	0.36
योग		112	81.3068
			अथवा ₹81.30 करोड़

स्रोत: विभागों द्वारा आपूरित सूचना से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित अंकड़े

परिशिष्ट-2.13
(संदर्भ: परिच्छेद 2.5; पृष्ठ 42)

31 मार्च 2011 को प्रतिकूल/नकारात्मक शेष को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	खजाना/आहरण एवं संवितरण अधिकारी	अथ शेष	क्रेडिट	डेबिट	अन्त शेष
8448- स्थानीय निधि निक्षेप					
102-नगर निधि	अधिसूचित क्षेत्र समिति चौपाल	(-) 16,438	--	--	(-) 16,438
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
109-पंचायत निकाय निधि	पी एस बंजार	(-) 25,036	38,590	36,090	(-) 22,536
8449-अन्य निक्षेप					
120-विविध निक्षेप	प्रधानाचार्य एस वी एस डी महाविद्यालय भटोली	2,09,226	71,12,052	73,21,778	(-) 500
	योग	1,67,752	71,50,642	73,57,868	(-) 39,474

परिशिष्ट-3.1
(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 45)

31 मार्च 2011 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ लाख में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देव उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
1	2011- संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधानसभा	2009-10	1	8.23		
			1	8.23	-	-
2	2055- पुलिस	2008-09	1	25.00	1	25.00
			1	25.00	1	25.00
3	2070 - अन्य प्रशासकीय सेवाएं	2009-10	11	221.77	11	221.77
			11	221.77	11	221.77
4	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2006-07	9	128.25	9	128.25
		2007-08	18	211.54	18	211.54
		2008-09	17	181.92	17	181.92
		2009-10	13	168.10	13	168.10
			57	689.81	57	689.81
5	2202- सामान्य शिक्षा	2006-07	23	1242.01	-	-
		2007-08	2,887	1857.13	-	-
		2008-09	15,981	13086.81	-	-
		2009-10	13,736	14181.30	3185	4574.42
			32,627	30367.25	3,185	4574.42
6	2204- क्रीड़ा एवं युवा सेवाएं	2005-06	3	110.43	-	-
		2006-07	13	87.43	9	66.38
		2007-08	10	52.84	10	52.84
		2008-09	23	383.88	17	254.48
		2009-10	31	490.43	31	490.43
			80	1125.01	67	864.13
7	2205- कला एवं संस्कृति	2005-06	66	50.66	1	16.50
		2006-07	220	68.94	160	36.74
		2007-08	229	46.55	229	46.55
		2008-09	344	46.56	344	46.56
		2009-10	31	234.44	31	234.44
			890	447.15	765	380.79
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य					
8	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2006-07	5	8.50	-	-
		2007-08	3	3.00	-	-
		2008-09	123	484.98	123	484.98

		2009-10	504	2973.22	504	2973.22
			635	3469.70	627	3458.20
9	2211-परिवार स्वास्थ्य	2009-10	19	1152.58	19	1152.58
			19	1152.58	19	1152.58
	योग (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य)		654	4622.28	646	4610.78
	शहरी विकास					
10	3054- सड़क एवं पुल	2008-09	2	600.00	2	600.00
		2009-10	2	600.00	2	600.00
			4	1200.00	4	1200.00
11	2217- शहरी विकास	2007-08	15	2277.89	3	400.52
		2008-09	34	3373.65	24	2945.77
		2009-10	42	10563.26	28	6675.00
			91	16214.80	55	10022.29
	योग (शहरी विकास)		95	17414.80	59	11222.29
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
12	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2006-07	15	653.67	11	607.17
		2007-08	37	1114.91	29	974.96
		2008-09	46	1355.54	34	1157.92
		2009-10	34	1670.99	34	1670.99
			132	4795.11	108	4411.04
13	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2006-07	40	72.49	40	72.49
		2007-08	158	995.50	52	858.80
		2008-09	743	1233.28	100	702.53
		2009-10	283	1505.71	204	1089.94
			1,224	3806.98	396	2723.76
14	2250- अन्य सामाजिक सामुदायिक सेवाएं	2006-07	1	0.88	-	-
		2007-08	1	0.27	-	-
		2008-09	1	0.27	-	-
		2009-10	1	0.27	-	-
			4	1.69		
	योग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)		1360	8603.78	504	7134.80
15	2230- श्रम एवं रोजगार	2009-10	1	5.00	-	-
			1	5.00	-	-
	सचिवालय व सामाजिक सेवाएं					
16	2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएं	2009-10	8	71.75	-	-
			8	71.75	-	-
17	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2007-08	2	94.26	2	94.26
		2008-09	8	275.43	8	275.43
		2009-10	14	395.81	14	395.81
			24	765.50	24	765.50
	योग (सचिवालय व सामाजिक सेवाएं)		32	837.25	24	765.50
18	2401- फसल कृषि	2008-09	1	50.00	-	-
		2009-10	10	296.50	-	-
			11	346.50	-	-

19	2403- पशुपालन	2007-08	1	50.00	1	50.00
		2008-09	14	387.10	6	116.53
		2009-10	15	635.40	7	105.00
			30	1072.50	14	271.53
20	2404- दुध विकास	2009-10	8	1290.00	-	-
			8	1290.00	-	-
21	2405- मत्स्य	2009-10	10	22.53	-	-
			10	22.53	-	-
22	2406- बानिकी व बन्य प्राणी	2007-08	1	21.69	1	4.70
		2008-09	8	339.75	4	127.28
		2009-10	25	1377.60	24	603.37
			34	1739.04	29	735.35
23	2408- खाद्य भण्डारण एवं गोदाम	2008-09	1	5.00	-	-
		2009-10	49	28.85	-	-
			50	33.85	-	-
24	2415- कृषि अनुसंधान व शिक्षा	2007-08	9	191.00	-	-
		2008-09	22	3798.00	5	283.25
		2009-10	42	8443.12	24	4121.12
			73	12432.12	29	4404.37
25	2425- सहकारिता	2007-08	3	0.62	-	-
		2008-09	80	12.57	-	-
		2009-10	219	141.38	62	13.99
			302	154.57	62	13.99
	ग्रामीण विकास					
26	2216- आवास	2003-04	6	110.13	-	-
		2004-05	23	103.43	-	-
		2005-06	20	275.93	-	-
		2006-07	31	420.55	13	71.51
		2007-08	83	1158.62	49	552.62
		2008-09	111	1731.62	76	1202.43
		2009-10	129	2792.67	125	2667.52
			403	6592.95	263	4494.08
27	2501- विशेष कार्यक्रम	2000-01	2	415.78	-	-
		2004-05	38	656.09	2	27.02
		2005-06	50	443.08	9	61.04
		2006-07	66	1099.22	17	305.69
		2007-08	111	1109.62	58	539.49
		2008-09	190	1469.28	108	840.52
		2009-10	172	1411.97	161	1262.85
			629	6605.04	355	3036.61
28	2505- ग्रामीण रोजगार	2003-04	10	67.01	-	-
		2004-05	5	83.97	2	55.99
		2006-07	11	328.81	6	217.35
		2007-08	39	1270.54	5	104.83

		2008-09	73	3503.35	2	816.89
		2009-10	39	5454.09	10	3401.53
			177	10707.77	25	4596.59
29	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2001-02	151	627.41	151	627.41
		2002-03	45	1214.18	37	1118.51
		2003-04	162	1039.48	73	1020.50
		2004-05	325	1789.40	205	1575.34
		2005-06	415	1742.24	298	1665.33
		2006-07	566	4774.20	302	4111.65
		2007-08	685	8182.26	314	5911.03
		2008-09	890	13399.98	500	11750.00
		2009-10	765	13545.05	713	12638.01
			4,004	46314.20	2,593	40417.78
	योग (ग्रामीण विकास)		5213	70219.96	3,236	52545.07
30	2801- विद्युत	2009-10	4	90.00	-	-
			4	90.00	-	-
31	2810- ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत	2009-10	3	126.00	-	-
			3	126.00	-	-
32	2851- ग्राम एवं लघु उद्योग	2005-06	4	0.21	4	0.21
		2006-07	514	73.54	514	73.54
		2007-08	93	87.56	93	87.56
		2008-09	93	86.15	90	85.00
		2009-10	124	1042.74	117	1042.42
			828	1290.20	818	1289.73
33	3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2006-07	2	60.83	-	-
		2007-08	6	60.52	-	-
		2009-10	4	69.57	-	-
			12	190.92	-	-
34	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2009-10	7	28.69	1	5.20
			7	28.69	1	5.20
35	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2009-10	5	338.00	1	3.66
			5	338.00	1	3.66
36	3452- पर्यटन	1998-99	1	137.00	1	137.00
		2004-05	1	4.40	-	-
		2008-09	1	45.00	1	45.00
		2009-10	3	3.00	2	2.00
			6	189.40	4	184.00
37	3604- स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति व समनुदेशन	2008-09	16	396.58	16	396.57
		2009-10	18	429.35	18	429.36
			34	825.93	34	825.93
	सकल योग:		42,439	154757.54	9547	90768.12

परिशिष्ट-3.2
(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 46)

स्वायत्त निकायों का प्रदर्शन दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	अवधि जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करना	लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब	विलम्ब की अवधि
1	हिमाचल प्रदेश राज्य पशु-चिकित्सा परिषद्, शिमला	2005-06 से आगे	2010-11	2009-10	2008-09	2010-11	2 महीने
2	हिमाचल प्रदेश राज्य विधि सेवाएं प्राधिकारी, शिमला	लेखापरीक्षा को विधि सेवाएं प्राधिकारी अधिनियम, 1987 की धारा 18(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है	2010-11	2009-10	2009-10	कोई विलम्ब नहीं	--
3	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, शिमला		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	1 महीना
4	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, सोलन		2010-11	2009-10	2009-10	कोई विलम्ब नहीं	--
5	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, हमीरपुर		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	2 महीने
6	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, धर्मशाला		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	2 महीने
7	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, ऊना		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	2 महीने
8	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, मंडी		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	1 महीना
9	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, नाहन		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	1 महीना
10	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, बिलासपुर		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	1 महीना
11	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, चम्बा		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	1 महीना
12	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, किनौर स्थित रामपुर		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	2 महीने
13	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, कुल्लू एवं लाहौल स्पीति स्थित कुल्लू		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	2 महीने

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3; पृष्ठ 46)

दुर्बिनियोजन, गबन आदि के मामलों का विभागवार/अवधिवार व्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्षों तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्षों से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		ग	क	ग	क	ग	क	ग	क	ग	क	ग	क	ग	क
1	शिक्षा	2	2.19	1	0.71	1	0.48	--	--	1	0.59	1	0.14	6	4.11
2	ग्रामीण विकास	1	4.68	1	शून्य	--	--	--	--	--	--	--	--	2	4.68
3	कृषि	2	9.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	9.46
4	भू-राजस्व	--	--	--	--	1	2.57	--	--	--	--	--	--	1	2.57
5	पुलिस	--	--	2	1.51	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1.51
6	राजस्व	--	--	1	0.31	--	--	--	--	--	--	1	0.02	2	0.33
7	गृह रक्षा	--	--	--	--	2	25.37	--	--	--	--	1	0.05	3	25.42
8	पशुपालन	--	--	1	0.17	--	--	--	--	--	--	2	0.93	3	1.10
9	निवेशक योजना	--	--	1	2.97	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2.97
10	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग	--	--	1	2.96	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2.96
11	स्वास्थ्य	--	--	1	0.95	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.95
12	वन	--	--	1	2.38	--	--	--	--	1	0.20	1	0.20	3	2.78
13	लोक निर्माण	--	--	--	--	6	7.43	1	1.05	2	0.77	7	2.78	16	12.03
14	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	1	0.89	1	0.02	1	7.69	--	--	2	0.31	--	--	5	8.91
योगः		6	17.22	11	11.98	11	43.54	1	1.05	6	1.87	13	4.12	48	79.78

गः मामलों की संख्या

कः राशि (₹ लाख में)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3; पृष्ठ 46)

चोरी, सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हानि मामलों का विभागवार/श्रेणीवार व्यौरा

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
शिक्षा	2	2.19	4	1.92	6	4.11
ग्रामीण विकास	--	--	2	4.68	2	4.68
कृषि	--	--	2	9.46	2	9.46
भू-राजस्व	--	--	1	2.57	1	2.57
पुलिस	--	--	2	1.51	2	1.51
राजस्व	1	0.31	1	0.02	2	0.33
गृह रक्षा	--	--	3	25.42	3	25.42
पशुपालन	1	0.17	2	0.93	3	1.10
योजना	1	2.97	--	--	1	2.97
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग	--	--	1	2.96	1	2.96
स्वास्थ्य	--	--	1	0.95	1	0.95
वन	--	--	3	2.78	3	2.78
लोक निर्माण	2	0.77	14	11.26	16	12.03
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	1	0.25	4	8.66	5	8.91
योग:	8	6.66	40	73.12	48	79.78

परिशिष्ट-3.5
(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ 47)

गत तीन वर्षों की मुख्य उच्चत शीर्षों के अन्तर्गत उच्चत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष का नाम	2008-09		2009-10		2010-11	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन व लेखा कार्यालय-उच्चत	73.49	7.37	80.64	17.34	25.24	20.24
शुद्ध	66.12	डेबिट	63.30	डेबिट	5.00	डेबिट
102-उच्चत लेखा (सिविल)	61.58	9.58	8.44	0.42	115.37	99.53
शुद्ध	52.00	डेबिट	8.02	डेबिट	15.84	डेबिट
107-नकद समायोजन उच्चत लेखा	5.46	1.08	4.38	1.12	3.26	2.42
शुद्ध	4.38	डेबिट	3.26	डेबिट	0.84	डेबिट
109-रिजर्व बैंक उच्चत-मुख्यालय	(-0.50)	(-0.10)	(-12.96)	(-) 19.76	(-) 1.32	(-)0.10
शुद्ध	0.40	क्रेडिट	6.80	डेबिट	1.22	क्रेडिट
110-रिजर्व बैंक उच्चत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	5.96	0.10	4.17	0.10	4.19	0.20
शुद्ध	5.86	डेबिट	4.07	डेबिट	3.99	डेबिट
112-स्रोत पर काटा गया कर उच्चत	53.84	64.50	91.39	108.50	239.60	269.19
शुद्ध	10.66	क्रेडिट	17.11	क्रेडिट	29.59	क्रेडिट
129-सामग्री क्रय समायोजन उच्चत लेखा	24.90	195.94	47.66	278.13	58.09	358.47
शुद्ध	171.04	क्रेडिट	230.47	क्रेडिट	300.38	क्रेडिट

परिशिष्ट-3.6
(संदर्भ: परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 48)

**चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के मार्च 2011 तक बकाया निरीक्षण
प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का वर्ष-वार व्यौरा**

अवधि	शिक्षा				सहकारिता				उद्योग				पुलिस		योग	
	माध्यमिक शिक्षा		हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय		निरीक्षण प्रतिवेदन		परिच्छेद		निरीक्षण प्रतिवेदन		परिच्छेद		निरीक्षण प्रतिवेदन			
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद		
मार्च 2001 तक	776	1634	6	103	14	17	16	20	5	6	817	1780				
2001-02	88	234	1	4	2	3	1	2	1	2	93	245				
2002-03	104	269	1	11	3	5	1	1	4	6	113	292				
2003-04	94	266	1	11	3	10	4	7	5	6	107	300				
2004-05	83	260	2	42	3	3	3	8	4	15	95	328				
2005-06	201	648	1	31	1	1	4	5	3	8	210	693				
2006-07	249	814	1	21	4	6	5	12	9	28	268	881				
2007-08	210	606	1	14	6	16	4	10	6	13	227	659				
2008-09	96	278	1	64	3	11	5	13	4	6	109	372				
2009-10	22	58	2	12	1	5	1	3	1	3	27	81				
2010-11	25	68	1	10	1	5	6	35	6	16	39	134				
योग	1948	5135	18	323	41	82	50	116	48	109	2105	5765				

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 48)

31 मार्च 2011 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों में बताई गई अनियमितताओं को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. क्र.	अनियमितता का प्रकार	शिक्षा				सहकारिता				उद्योग				पुलिस		कुल			
		माध्यमिक शिक्षा		हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय		परिच्छेद		राशि		परिच्छेद		राशि		परिच्छेद		राशि		परिच्छेद	
		परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि
1	आवश्यकता से पूर्व नियंत्रणों का आहरण	29	243.99	7	54.06	0	0	4	81.26	15	1642.78	55	2022.0						
2	आकस्मिक अग्रिमों का समयोजन न करना	24	8.59	24	973.04	1	0.12	0	0	0	0	0	49	981					
3	संरचीकृति के अभाव में अधिक/अनियमित व्यय	1169	10041.12	81	1414.35	12	28.07	7	1394.71	11	45.99	1280	1292						
4	अपवर्यी/निष्कल/अलाभकारी व्यय	85	1169.11	13	1262.09	2	3.70	8	2318.70	3	188.55	111	494						
5	नियंत्रणों का विचलन	3	2.03	2	46.74	0	0	0	0	1	73.63	6	1						
6	अधिक भुगतान, किराये की अवसूली, अग्रिम/विविध वसूलियां	1915	1699.08	43	199.92	19	226.89	20	366.96	30	3256.73	2027	57						
7	वास्तविक प्राप्ति रसीदों का प्रस्तुत न करना	61	220.50	6	17.46	6	8.25	0	0	2	13.12	75							
8	बकाया ऋण	1	0.09	3	171.13	5	345.18	19	1011.73	0	0	28	1528.13						
9	वाहनों सहित बेकार मशीनरी/उपस्कर	30	34.06	10	248.45	1	0.37	1	8.54	5	144.68	47	436.10						
10	लेखाकरण न करना/भट्टार/रोकड़ इत्यादि की कमी	235	342.88	8	11.82	3	0.30	4	1.07	3	1109.89	253	1465.96						
11	व्यय की क्षतिपूर्ति न करना	3	0.08	8	200.05	0	0	1	107.94	1	24.04	13	332.1						
12	स्टोर/नकद/नियंत्रणों का दुर्विनायोजन	83	86.73	6	50.36	2	0	3	0.32	1	1.93	95	139.3						
13	अपर्याप्ति/परित्यक्त कार्य	25	1331.50	7	292.71	5	97.56	12	548.36	13	5622.99	62	7893.1						
14	हानि/चोरी/गवन/व्यपहरण	228	102.84	16	365.55	4	49.58	4	309.94	7	7.94	259	835.85						
15	उपयोगिता प्रमाणात्र का प्रस्तुत न करना	12	73.78	6	37.03	1	0	8	1719.86	0	0	27	1030.6						
16	स्टोर की अनुपायी वस्तुओं का निपटान न करना	163	586.98	8	2.74	3	0.55	1	5.15	2	19.99	177							
17	कोषालय/बैंक के साथ मेल-मिलाप न करना	154	339.86	2	0.01	1	0.01	0	0	0	0	0	157						
18	सहायता अनुदान की प्रयुक्ति न करना	72	994.31	5	58.29	2	22.85	8	844.18	1	1.50	88							
19	कोषालय में व्याज का जमा न करना	39	11.36	10	28.19	1	1.14	8	947.72	2	51.29	60							
20	विविध अनियमिताएं	804	1444.11	58	2632.18	14	299.71	8	233.99	12	304.22	896	4914..						
योग		5135	18733.00	323	8066.17	82	1084.28	116	9900.43	109	12509.27	5765	50293.15						